

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005 – भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक :14 सितम्बर, 2005

क्रमांक 11/सी.एस.ई.आर.सी/2005, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क.36) की धारा 43 (1) सहपठित धारा 181(2)(टी), धारा 44 एवं 46 सहपठित धारा 181 (2) (एल) धारा 47(1), सहपठित धारा 181 (2) (वी) धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (2)(डब्ल्यू) धारा 47 (2),(3) एवं (5), 48 (बी) एवं 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) तथा धारा 56 में और भारत शासन के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत (कठिनाईयाँ हटाना) आदेश 2005, दिनांक: 08/06/2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति और उसकी प्रक्रियाएँ तथा देयक पद्धति, उनके भुगतान का स्वरूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को अधिशासित करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के नाम से जाना जाए :-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2005

अध्याय – 1 : संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा समीक्षा प्रक्रिया

- 1.1 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के नाम से जानी जाएगी ।
- 1.2 इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से यह संहिता प्रभावशील होगी ।
- 1.3 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
- 1.4 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल और इस अधिनियम के अधीन उसके अभिकर्ताओं सहित, उन सभी व्यक्तियों को, जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हों, तथा विद्युत के उपभोक्ताओं को लागू होगी। यह उन सब व्यक्तियों को भी लागू होगी, जिन्हें अधिनियम की धारा 13 के अधीन वितरण अनुज्ञप्ति लेने से विमुक्त किया गया हो ।
- 1.5 इस संहिता तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण हेतु दिशा निर्देश की समय समय पर संशोधित प्रतिलिपियाँ अनुज्ञप्तिधारियों के पंजीकृत कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, संभागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्रों और अनुज्ञप्तिधारी अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएँगी ।

विद्युत प्रदाय संहिता के पुनर्विलोकन हेतु तंत्र

- 1.6 आयोग इस संहिता सहित, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के लिए दिशा निर्देशों के नियमित रूप से पुनर्विलोकन हेतु एक विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति (पुनर्विलोपन समिति) का गठन करेगा । पुनर्विलोकन समिति में इतनी संख्या में व्यक्ति होंगे जो आयोग के विचार में आवश्यक एवं पर्याप्त हों, जिन्हें आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे :-
 - (ए) राज्य का प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी ।
 - (बी) राज्य पारेषण उपयोगिता अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ।
 - (सी) निम्नदाब उपभोक्ता, उच्चदाब उपभोक्ता, अति-उच्चदाब उपभोक्ता एवं कोई उपभोक्ता संगठन ।
 - (डी) गैर सरकारी संगठन सहित अन्य हितबद्ध समूह, जैसा आयोग उचित समझे ।
- 1.7 आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधियों में से एक को पुनर्विलोकन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा । अध्यक्ष अपने एक अधिकारी को सदस्य-सचिव नियुक्त करेगा । संबंधित अनुज्ञप्तिधारी समिति को उसके कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक या अन्य सहायता उपलब्ध करायेगा । समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की जायेगी ।
- 1.8 पुनर्विलोकन समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ।

- 1.9** पुनर्विलोकन समिति का सदस्य-सचिव बैठक आयोजित होने के दिनांक से आगामी 15 दिवस के भीतर बैठक का कार्यवाही विवरण आयोग को प्रेषित करेगा ।
- 1.10** आयोग, विद्युत प्रदाय संहिता को स्वप्रेरणा से अथवा पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित कर सकेगा तथापि संहिता में किसी भी प्रकार के संशोधन के पूर्व, आयोग प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारेषण उपयोगिता, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा ।
- 1.11** विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन के सार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में बहु-प्रसारित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायगा, जिसमें उल्लेखित किया जायगा कि संशोधित विद्युत प्रदाय की प्रतियाँ कण्डिका 1.5 में दर्शाये कार्यालयों में क्रय हेतु उपलब्ध हैं ।

अध्याय – 2: परिभाषाएँ

2.1 इस संहिता में, जब तक संदर्भ अन्यथा न हों:—

- (ए) 'अधिनियम' से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो;
- (बी) 'अनुबंध' से तात्पर्य, इस संहिता के तहत अपने व्याकरणिय विभेदों और समीपीय अभिव्यक्तियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किये गये अनुबंध से है;
- (सी) 'उपकरण' से तात्पर्य है, विद्युत उपकरण और इसमें सभी मशीन, पुर्जे, सहायक उपकरण और यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें विद्युत चालकों का प्रयोग किया जाता है;
- (डी) 'आपूर्ति का क्षेत्र' से तात्पर्य है वह भौगोलिक क्षेत्र, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के तहत विद्युत प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत है;
- (ई) 'औसत पावर फैक्टर' से तात्पर्य औसत मासिक पावर फैक्टर है, जिसे माह में प्रदाय किये गये कुल किलो वॉट घण्टों को कुल किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टों के अनुपात में प्रतिशत में दर्शाया जावेगा । इस प्रतिशत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा । दशमलव के तीसरे स्थान पर पाँच या इससे अधिक की संख्या होने पर उसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक बनाया जावेगा । यदि किलो वॉट घण्टों या किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टों में वाचन उपलब्ध न हो और यदि मीटर में किलो वोल्ट एम्पीयर रीएक्टिव घण्टे रिकार्ड करने की सुविधा हो तो किलो वोल्ट एम्पीयर रीएक्टिव घण्टों के वाचन के आधार पर पावर फैक्टर की गणना की जावेगी ।
- (एफ) 'बिलिंग माह' से तात्पर्य है, बिल किये जाने के प्रयोजन हेतु ली गई लगातार दो मीटर वाचन के बीच की अवधि या लगभग 30 दिवस की अवधि;
- (जी) 'व्यवधान' से तात्पर्य है, विद्युत लाईन सहित आपूर्ति प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना, जो उसकी सामान्य कार्यप्रणाली को रोक देती है;
- (एच) 'संहिता' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, जैसे कि समय –समय पर लागू हो;
- (आई) 'आयोग' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;
- (जे) 'चालक' से तात्पर्य है, ऐसा कोई तार, केबल, छड़, नली, पटरी (रेल) या प्लेट, जो विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त होता है तथा जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि उसे विद्युत संयोजन द्वारा प्रणाली से जोड़ा जा सके;
- (के) 'संयोजित भार' से तात्पर्य है, उपभोक्ता के परिसर में स्थित ऊर्जा की खपत करने वाले उन सभी विद्युत उपकरणों, के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमतानुसार, विद्युत भार का कुल योग, जो एक साथ प्रयोग किये जा सकते हैं;
- इसकी अभिव्यक्ति किलो वाट, किलो वोल्ट एम्पीयर या हार्स पावर इकाई में की जायगी और इसका अवधारण इस संहिता के 'स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण' शीर्षक के खण्ड 6.37 से 6.42 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार होगा;
- (एल) 'उपभोक्ता' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय किया गया हो एवं इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसके परिसर को अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रणाली से तात्कालिक रूप से सम्बद्ध किया गया हो या ऐसा व्यक्ति जिसने विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया हो या ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु

विहित सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी उसे विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा हो, या जिसका विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर दिया हो। कोई उपभोक्ता:-

- (i) **निम्न दाब (एल.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न अथवा मध्यम वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हा;
 - (ii) **उच्च दाब (एच.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;
 - (iii) **अति उच्च दाब (ई.एच.टी) उपभोक्ता** होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;
- (एम) **'उपभोक्ता की स्थापना'** से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई, जिसमें विद्युत तार, पुर्जे, मोटरें, चलित एवं स्थाई उपकरण शामिल होंगे जो उपभोक्ता द्वारा या उसके लिए उपभोक्ता के परिसर में स्थापित या तारों से जोड़े गये हैं;
- (एन) **'संविदा मांग'** से तात्पर्य है, किलो वॉट या किलो वोल्ट एम्पीयर या बीएचपी में, जैसा भी मामला हो, अधिकतम विद्युत भार, जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिए उपभोक्ता ने अनुबंध किया हो एवं जो अनुबंध में उल्लेखित हो;
- (ओ) **'कट-आउट'** से तात्पर्य है, कोई उपकरण, जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले करंट के पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय अवरुद्ध करता है एवं इसमें गलने वाले तार का कट-आउट भी सम्मिलित है;
- (पी) **'विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने की तिथि'** से तात्पर्य उस तिथि से है जो उपभोक्ता को दी गई विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के सूचना पत्र जारी होने के उपरांत निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए एक महीने व उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए तीन महीनों के बाद पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा विद्युत प्रदाय की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो;
- (क्यू) **'मांग प्रभार'** किसी बिलिंग अवधि के लिए लिया जाने वाला वह प्रभार है जो उपभोक्ता की अनुबंधित मांग या उच्चतम मांग, इसमें से जो भी अधिक हो , पर आधारित होगा जिसकी गणना आयोग द्वारा अधिनियम के भाग VII के अंतर्गत पारित अनुमोदित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी;
- (आर) **'वितरण प्रणाली'** से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है, जिसमें 33 के.व्ही. या इससे कम वोल्टेज की मुख्यतः शिरोपरी लाईनें, भूमिगत केबल, सर्विस लाईन, विद्युत उपकरण, कंट्रोल स्विच गीयर एवं मीटर सम्मिलित हों एवं इसमें उच्चतर वोल्टेज की वह प्रणाली भी सम्मिलित होगी, जिसे नियामक आयोग द्वारा विशेष रूप से मान्यता दी गई हो । इस प्रणाली में अति उच्च दाब (66 के.व्ही. एवं इससे अधिक) उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय हेतु प्रयोज्य मीटरिंग प्रणाली (सी.टी., पी.टी एवं मीटर) के अलावा पारेषण प्रणाली का कोई भी भाग सम्मिलित नहीं होगा;
- (एस) **'भू-योजन'** या **'भूमि से संयोजित'** से तात्पर्य है विद्युत प्रणाली को भूमि से इस प्रकार संयोजित करना कि विद्युत का उन्मोचन (डिस्चार्ज) तत्काल एवं प्रभावी रूप से बगैर किसी खतरे के हो;
- (टी) **'ऊर्जा'** से तात्पर्य है ऐसी विद्युत ऊर्जा :-
- (i) जो कि किसी भी उद्देश्य के लिए उत्पादित पारेषित अथवा प्रदाय की जा रही हो, अथवा

- (ii) जो संदेश को प्रसारित करने के अलावा किसी और कार्य के लिए उपयोग की जा रही हो;
- (यू) 'ऊर्जा प्रभार' से तात्पर्य उस प्रभार से है, जो कि उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा (किलो वॉट घण्टा या किलो वॉट एम्पीयर घण्टा) के आधार पर लगाया जाता हो;
- (व्ही) 'अति उच्च दाब वोल्टेज' से तात्पर्य है वह वोल्टेज जो 33,000 वोल्ट से ज्यादा हो एवं जो कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 में दिये गये मापदण्ड के प्रतिशत विचलन के अनुसार हो;
- (डब्ल्यू) 'हार्मोनिक्स' से तात्पर्य है 50 हर्ट्ज की मौलिक विद्युत लाईन फ्रीक्वेन्सी के एकीकृत गुणक सामयिक तरंग का घटक जिससे वोल्टेज या विद्युत धारा की शुद्ध सिनसाइडल तरंग के आकार में विकृति आती है । यह IEEE STD 519-1992-IEEE 'रिकमेंडेड प्रेक्टिसेज़ एण्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर हारमोनिक कन्ट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम', से शासित होंगे और अधिनियम की धारा 185(2), (सी) के अधीन बनाये गये मापदण्डों के अनुसार होंगे;
- (एक्स) 'उच्च दाब वोल्टेज' से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में 650 वोल्ट से अधिक तथा 33,000 वोल्ट तक की वोल्टेज, जो भारतीय विद्युत नियम, 1965 के तहत अनुमति दिये जाने योग्य प्रतिशत विचलन के अनुसार हो ;
- (वाय) 'अनुबंध के प्रारंभिक कालखण्ड' से तात्पर्य हैं, विद्युत प्रदाय आरंभ करने या विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने के नोटिस की समाप्ति की तिथि से आगामी 2 वर्ष की अवधि। यह कालखण्ड अनुबंध के 2 वर्ष के प्रारंभिक कालखण्ड के अंतिम माह के अंतिम दिन तक प्रभावी होगा;
- (जेड) 'व्यवस्थापन' से तात्पर्य है ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई जो कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन, वितरण अथवा उपभोग में प्रयुक्त हो रही है;
- (एए) 'अनुज्ञापिधारक विद्युत ठेकेदार' से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के तहत अनुज्ञापि प्रदान की गई हो;
- (बीबी) 'लोड फैक्टर' से तात्पर्य है किसी समयावधि में उपभोग की गई कुल यूनिटों तथा संविदा माँग/स्वीकृत भार को लगातार रखते हुए उपभोग की जाने योग्य कुल यूनिटों का अनुपात । इसे प्रायः प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जायगा;
- (सीसी) 'निम्न दाब वोल्टेज' से तात्पर्य उस वोल्टेज से है जो सामान्य परिस्थितियों में 250 वोल्ट से अधिक न हो । तथापि इसमें भारतीय विद्युत नियम, 1956 के तहत दिये गये प्रतिशत विचलन अनुमत होंगे;
- (डीडी) 'अधिकतम मांग' से तात्पर्य उस मांग से है, जिसकी उपभोक्ता श्रेणी के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार गणना की जावेगी;
- (ईई) 'मध्यम वोल्टेज' से तात्पर्य है सामान्य परिस्थितियों में 250 से अधिक लेकिन 650 वोल्ट से कम वोल्टेज हो । तथापि वह भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के तहत अनुमति दिये जाने योग्य प्रतिशत विचलन के अधीन होगी;
- (एफएफ) 'मीटर' से तात्पर्य हैं एकीकृत उपकरणों और यंत्रों का वह समूह, जिसे किलोवाट घंटे या किलो वोल्ट एम्पीयर घण्टे में विद्युत मात्रा, किलोवाट या कवीए में अधिकतम माँग, के.वी.ए.आर. घण्टे में रीएक्टिव ऊर्जा इत्यादि को नापने और/या अंकित करने और/या संग्रह करने हेतु प्रयुक्त किया जाय। इसमें ऐसे मीटर या उसके सहायक उपकराणों के साथ प्रयुक्त केबल वायरिंग सहित होल करण्ट मीटर, मीटरिंग इक्विपमेंट जैसे करण्ट ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पोटेन्शीयल ट्रांसफार्मर और अन्य साधन जैसे स्विच, एमसीबी/लोड लिमिटर या सुरक्षा और परीक्षण हेतु लगाये गये

फ्यूज तथा ऐसे मीटर या उनके सहायक यंत्रों को लगाने हेतु उपयोग किया गया बॉक्स शामिल होंगे; और

(जीजी) 'माह' से तात्पर्य है कैलेण्डर माह

- 2.2 उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त जो भी पारिभाषिक एवं अन्य शब्द इस संहिता में प्रयुक्त किये हैं, परंतु इस संहिता में परिभाषित नहीं किये गये हैं, का तात्पर्य अधिनियम में दी गई परिभाषा से होगा, यदि वे अधिनियम में परिभाषित किये गये हों। अन्य परिभाषित शब्द, जो इस संहिता में उपयोग किये गये हैं परंतु इस संहिता या अधिनियम में परिभाषित नहीं किये गये हैं, यदि उन्हें संसद द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू किसी अन्य विधि या अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में दिया गया है, तो उनका तात्पर्य उस विधि में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

उपर्युक्त के अधीन उपयोग किये गये पारिभाषिक शब्द, जिन्हें विशेष रूप से इस संहिता या अधिनियम या संसद द्वारा पारित किसी विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का तात्पर्य ऐसे शब्दों की उस परिभाषा से होगा जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रयुक्त की जाती है।

अध्याय—3: विद्युत प्रदाय प्रणाली और उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

आपूर्ति प्रणाली

- 3.1 अल्टरनेटिंग करेंट (ए.सी) की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 साईकल प्रति सेकेंड होगी।

- 3.2 ए.सी आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :-

(ए) निम्न दाब (एल.टी)

(i) एकल फेज़ : फेज़ और न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट;

(ii) तीन फेज़ : फेज़ों के मध्य 400 वोल्ट;

(बी) उच्च दाब (एच.टी) – तीन फेज़ : फेज़ों के मध्य 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट;

(सी) अति उच्च दाब (ई.एच.टी.) – तीन फेज़ : फेज़ों के मध्य 66 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट।

रेल्वे कर्षण के लिये दो फेज़ पर विद्युत प्रदाय की जायगी।

- 3.3 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली को पारिषण प्रणाली के अनुसार आकल्पित एवं संचालित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिंदु पर घोषित वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों के सिवाय नहीं देगा :-

(ए) निम्न दाब और मध्यम दाब वोल्टेज की दशा में घोषित वोल्टेज से 6 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो;

(बी) उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर छोर पर 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर छोर पर 9 प्रतिशत से अधिक का अंतर न हो;

(सी) अति उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर छोर पर 10 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर छोर पर 12.5 प्रतिशत से अधिक अंतर हो।

उपर्युक्त से विलग कोई भी अनुमति केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति अथवा आयोग के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी ।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज

3.4 विद्युत आपूर्ति वोल्टेज विभिन्न संविदा मांग के लिए सामान्यतः निम्नानुसार होगी :-

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	2 किलोवॉट
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	100 हार्स पावर अथवा 75 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	300 के.व्ही.ए
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	10000 के.व्ही.ए
132 के.व्ही	4000 के.व्ही.ए	40000 के.व्ही.ए
220 के.व्ही	15000 के.व्ही.ए	150000 के.व्ही.ए.

निम्न दाब पर विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उपभोक्ता का संयोजित भार 150 हार्स पावर से अधिक नहीं होगा ।

परंतु यह कि प्रणाली की उपलब्धता अथवा परिस्थितियों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी स्वविवेक से, आयोग से परामर्श कर, उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी वोल्टेज की जगह किसी अन्य वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति कर सकता है । विशेषतः रेल्वे के प्रकरणों में, उपरोक्त तालिका में विभिन्न वोल्टेज स्तर पर अधिकतम एवं न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर सहमति एवं अनुबंध के आधार पर, वास्तविक आवश्यकता और साध्यता के अनुसार शिथिल किया जा सकता है ।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

3.5 आयोग द्वारा, समय-समय पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित किये गये टैरिफ आदेश में या अन्यथा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, टैरिफ और प्रत्येक वर्ग को लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तें, निश्चित की जायेंगी । अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर आयोग द्वारा निश्चित वर्गीकरण के अनुरूप उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत अथवा पुनर्वर्गीकृत कर सकेगा ।

अध्याय – 4: नवीन विद्युत आपूर्ति

अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा कब्जेदार से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता (देखें—कंडिका 4.77) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि :

- (ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तथा
- (सी) आवेदक इस संहिता में विनिर्दिष्ट आपूर्ति तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत हो ।

अनुज्ञप्तिधारी का वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में हिस्सा

- 4.2 अनुज्ञप्तिधारी अपने वार्षिक राजस्व तथा अपने द्वारा व्यवस्था किये गये कोष से वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति के लिए प्रणाली के सशक्तीकरण / उन्नयन की लागत की पूर्ति करेगा और इस लागत की वसूली उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से की जावेगी । इस लागत के एक भाग की पूर्ति उपभोक्ताओं से वसूली योग्य, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रणाली के सशक्तीकरण प्रभार के द्वारा की जावेगी ।
- 4.3 नवीन उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति के लिए, आपूर्ति बिंदु तक वितरण लाईन का विस्तार तथा प्रणाली के विस्तार / उन्नयन की लागत का, भुगतान, उपभोक्ताओं द्वारा अथवा उपभोक्ताओं के समूह द्वारा किया जायेगा या अन्यथा जैसा कि अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाय ।
- 4.4 समस्त नये कनेक्शनो के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा लाईन के विस्तार की वास्तविक लागत, और सर्विस कनेक्शन प्रभार का भुगतान किया जायेगा ।
- 4.5 आयोग द्वारा समय-समय पर सर्विस कनेक्शन प्रभार अनुमोदित किये जायेंगे । उन मामलों में जहां प्रभार अनुमोदित नहीं किये गये हो, उपभोक्ता, सर्विस कनेक्शन के विस्तार की वास्तविक लागत वहन करेगा ।
- 4.6 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पम्प एवं चक्की उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी तीन फेज़ उपभोक्ताओं द्वारा खण्ड 4.4 में बताये गये प्रभारों के अतिरिक्त आयोग से अनुमोदित सप्लाय एफोर्डिंग चार्ज भुगतान योग्य होगा ।
- 4.7 यदि किसी नवीन कनेक्शन का प्रस्तावित संबद्ध / संविदा भार 50 किलो वॉट या अधिक होता है तो समुचित क्षमता के पृथक ट्रांसफार्मर की स्थापना उपभोक्ता के खर्च पर की जावेगी । ट्रांसफार्मर, उपकेंद्र तथा मीटरों की स्थापना के लिए उपभोक्ता द्वारा आवश्यक पहुँच-सुविधा वाला स्थान / कमरा निःशुल्क दिया जावेगा, जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई किराये या प्रीमियम का भुगतान नहीं करेगा ।
- 4.8 सर्विस कनेक्शन / वितरण प्रणाली का विस्तार, चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी जो इसका संधारण (रख रखाव) अपने खर्च पर करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार भी होगा कि वह इस सर्विस कनेक्शन / विस्तार का उपयोग अन्य किसी व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति के लिए करे। किंतु ऐसे किसी सर्विस कनेक्शन / विस्तार से उस उपभोक्ता की आपूर्ति विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिसने वितरण प्रणाली के विस्तार का भुगतान किया है ।
- 4.9 जब अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति करने के लिए तैयार है तो वह निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 1 महीने और उच्च दाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 3 माह के अंदर विद्युत आपूर्ति लेने हेतु सूचना पत्र प्रेषित करेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र के अवधि के अंदर आपूर्ति लेने में असफल रहता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा ।

उपभोक्ता द्वारा सर्विस कनेक्शन/विस्तार कार्य कराया जाना

- 4.10** उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अपने परिसर तक सर्विस लाईन खींचने का कार्य 'सी' श्रेणी या इससे उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा उच्च दाब, अति उच्च दाब लाईन, वितरण या उच्च दाब उप केंद्र और निम्न दाब लाईन के विस्तार का कार्य 'अ' श्रेणी के ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार करवा सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता स्वयं सामग्री उपार्जित करेगा। सामग्री संबंधित बी.आई.एस मानकों या उसके समतुल्य के अनुरूप होनी चाहिए तथा जहाँ लागू हो वहाँ आई.एस.आई चिन्हित होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी, उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए दस्तावेजी सबूत की मांग कर सकता है। उपभोक्ता को विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन की लागत पर आयोग द्वारा विविध प्रभारों की सूची में यथा-अनुमोदित पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा। सामग्री की दरें रेडी रेकनर में उपलब्ध होंगी।
- 4.11** उपभोक्ता, कंडिका 4.77 में दी गई समय सीमा में कार्य पूर्ण करेगा और ऐसा न करने पर अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की सूचना देकर आपूर्ति का आवेदन निरस्त मान सकता है।

विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन

- 4.12** विद्युत ऊर्जा की नवीन आपूर्ति अथवा बाद की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र उपयुक्त निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रपत्र नाम मात्र की शुल्क अदायगी पर अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में उपबंधित किया गया है। कोरे आवेदन पत्र की छाया प्रतियों या अनुज्ञप्तिधारी के वेब साईट से आवेदन प्रपत्रों को प्राप्त कर उनका उपयोग भी उपभोक्ता द्वारा किया जा सकता है, जिसे अनुज्ञप्तिधारी स्वीकार करेगा।
- 4.13** उस परिसर, जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है, कब्जेदार द्वारा आवेदन दिया जाएगा तथा आवेदन में उसका पूरा नाम, पता तथा आवेदित परिसर का दूरभाष क्रमांक (यदि उपलब्ध है) और अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसके द्वारा वायरिंग, की जावेगी, का नाम व पता भी दर्शाया जाएगा। किंतु, अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार के माध्यम से आवेदन पत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता को आवेदन पत्र भरने में आवश्यक किसी प्रकार की सहायता या जानकारी, अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी।
- 4.14** उपभोक्ता को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ जमा करानी होंगी। अनुज्ञप्तिधारी सत्यापन के लिए आवेदक से मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है।
- (ए) परिसर के वैधानिक स्वामित्व के सबूत के रूप में पंजीकृत विक्रयपत्र या विभाजन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या अंतिम वसीयत पत्र, अथवा परिसर के कब्जेदार के सबूत के रूप में वैध अधिकार पत्र या चालू माह के किराये की रसीद या वैध लीज डीड या किराया अनुबंध पत्र या परिसर के स्वामी द्वारा जारी आवंटन आदेश, अथवा कृषि/सिंचाई पम्प सेट के आपूर्ति के प्रकरण में संबंधित कृषि भूमि, जहाँ आपूर्ति की आवश्यकता है, का खसरा क्रमांक दर्शाते हुए खसरे की नकल और सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी जल उपलब्धता प्रमाण पत्र।
- (बी) यदि विधि / विधान द्वारा आवश्यक हो तो स्थानीय / वैधानिक संस्था से अनुमोदन / अनुमति।

- (सी) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख तथा आवेदनकर्ता, जो आवेदन पत्रों एवं अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हो, के नाम पर जारी किया गया अधिकार पत्र।
- (डी) सार्वजनिक-क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनियों के प्रकरण में कंपनी का स्मृति पत्र और एसोसिएशन का अनुच्छेद (मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन एण्ड सर्टिफिकेट आफ इन्कारपोरेशन) और साथ ही आवेदन पत्र और अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकार पत्र।
- (ई) उद्योग के पर्यावरण अनुमोदन के दायरे में होने की दशा में पर्यावरण संरक्षण विभाग से अनुमति।
- (एफ) छोटे एवं मध्यम उद्योग की दशा में लघु उद्योग का पंजीकरण।
- (जी) स्टोन क्रशर, स्टोन पालिशिंग और हॉटमिक्स संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जावेगी :
 - (i) संबंधित शासकीय विभाग से दस्तावेजी सबूत कि इस प्रकार के उपभोक्ता द्वारा कम से कम दो वर्ष तक बिजली आपूर्ति प्राप्त की जायेगी; और
 - (ii) उपभोक्ता का स्थाई पता।
- (एच) उपभोक्ता द्वारा यह भी सूचित किया जावेगा कि सर्विस लाइन और विस्तार कार्य, यदि कोई है, उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी से कराना प्रस्तावित है।
- (आई) आयोग द्वारा नियत किया गया प्रक्रिया शुल्क भी आवेदन दिये जाने के साथ देय होगा।

4.15 घरेलू या सिंगल फेज गैर-घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत कब्जेदार होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्ज कर, समाप्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति बन्धपत्र निष्पादित कर देगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा बताई गई 90 दिन की औसत खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराई जायेगी। इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को परिसर का कानूनी अधिकारी होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

4.16 यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम में निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कंपनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर विद्युत प्रदाय के बकाया या उस परिसर, जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन दिया जाना है, पर अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी, पहले से चालू किसी कनेक्शन के द्वारा परिसर को विद्युत आपूर्ति देने या

परिसर में नवीन कनेक्शन देने से मना कर सकता है, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है ।

4.17 विद्युत आपूर्ति के इन नियम और शर्तों के लिये संस्थान / परिसर का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :-

- (ए) इसका अलग से प्रबंधन और स्टाफ हो, अथवा
- (बी) इस पर भिन्न व्यक्तियों का स्वामित्व हो या यह पट्टे पर हो, अथवा
- (सी) किसी ऐसी विधि, जिसमें ऐसी प्रक्रिया लागू हो, के अनुसार इसे अलग अनुज्ञप्ति दी गई हो या पंजीकरण किया गया हो, और
- (डी) घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त संबंधित दस्तावेज हों ।

उपरोक्त शर्तों का परिपालन होने पर परिसर को पृथक मानकर पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी जबकि वे एक ही उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा न हों। साधारणतः पूरे परिसर के लिये उपभोक्ता को एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की जावेगी ।

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति

(ए) निम्नदाब पर आपूर्ति

4.18 अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन तथा सहपत्रों की जांच करेगा । आवेदन पूर्ण पाए जाने पर आवेदन प्राप्ति की एक लिखित रसीद तत्काल जारी करेगा। आवेदन अपूर्ण पाए जाने या अन्यथा जानकारी त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में कमियों के बारे में आवेदक को लिखित रूप में 05 कार्य दिवसों के अंदर सूचित किया जावेगा । आवेदक से पूर्ण किया गया आवेदन प्राप्त होते ही इसकी लिखित पावती तत्काल आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी एवं तत्पश्चात् 03 दिवस के अंदर अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को स्थल निरीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना देगा जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए आगामी 02 दिवसों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आगामी 05 दिवसों के अन्दर होगी ।

4.19 निरीक्षण के दौरान आवेदक या उसका प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति-धारक ठेकेदार के साथ स्थल पर उपस्थित रहेगा । निरीक्षण के दौरान अनुज्ञप्तिधारी :-

- (i) आपस में सहमति पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने का बिन्दु तथा मीटर एवं कट-आऊट/एमसीबी लगाने का स्थान निश्चित करेगा ।
- (ii) आपूर्ति के बिन्दु तथा निकटतम वितरण मेन, जहां से विद्युत की आपूर्ति की जा सके, के मध्य के दूरी का आंकलन करेगा तथा प्रस्तावित लाईनों व उपकेन्द्रों की स्थापना का स्थान व मार्ग निर्धारित करेगा ।
- (iii) किसी स्थान पर आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन यदि तीसरे पक्ष की संपत्ति के ऊपर से जाती है तो इसकी भी जांच करेगा ।
- (iv) आवश्यक होने पर आवेदन पत्र में दिये गये अन्य विवरणों की सत्यता की जांच करेगा ।

4.20 उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने पर तथा अनुज्ञप्तिधारी के वितरणमेन से खींची जाने वाली सर्विस लाइन के लिये या अन्य किसी प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से, उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति

के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाईन का निर्माण करने या सर्विस लाइन डालने के लिए आवश्यक पहुँच रास्ता (वे-लीव), अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती, अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाइन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाइन के किसी परिवर्तन अथवा नई सर्विस लाइन के प्रावधान, जो कि इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा।

- 4.21** उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किये गये वे-लीव, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति की सत्यता अथवा पर्याप्तता की पुष्टि करने का अवलंबन अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगा।
- 4.22** विद्यमान लाईन से आपूर्ति किया जाना संभव होने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि, सर्विस लाइन खींचने एवं अन्य लागू प्रभारों की राशि का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्रों में 10 कार्यकारी दिवसों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 कार्यकारी दिवसों में उपभोक्ता को प्रेषित किया जायेगा। राशि 15 कार्यकारी दिवसों में देय होगी तथा इसके पश्चात् ही सर्विस लाइन डालने की कार्यवाही की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करने की सूचना भी देगा।
- 4.23** यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वितरण मेन का विस्तार करना आवश्यक हो तो वितरण मेन के विस्तार की राशि, सर्विस लाइन खींचने की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 10 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित करेगा एवं उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता की सूचना भी उपभोक्ता को देगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ वितरण मेन व सर्विस लाइन इत्यादि के विस्तार का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जाना है, उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क में वितरण मेन एवं सर्विस लाइन के विस्तार कार्य पर पर्यवेक्षण शुल्क एवं अन्य लागू प्रभार सम्मिलित होंगे। अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण करने के साथ आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 कार्य दिवसों में किया जायेगा जिसके बाद ही सर्विस लाइन एवं वितरण मेन डालने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में परीक्षण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी सूचित करेगा।
- 4.24** उपभोक्ता के 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा, जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। उसके बाद आपूर्ति अथवा अतिरिक्त आपूर्ति, जैसा भी प्रकरण हो, के लिए उपभोक्ता को पुनः नया आवेदन देना होगा।
- 4.25** उपभोक्ता द्वारा ऊपर दर्शित प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध निष्पादित करने, और परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने तथा सर्विस लाइन व विस्तार कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना उपभोक्ता से प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उसकी स्थापना के परीक्षण किये जाने के दिनांक की सूचना देगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्थापना के परीक्षण के दौरान वह अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार, जिसने वायरिंग का कार्य किया है, उपस्थित रहे।

4.26 उपभोक्ता की स्थापना का परीक्षण करने पर यदि अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के नतीजों से संतुष्ट है तो अनुज्ञप्तिधारी कट-आउट या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर सहित मीटर लगाने का प्रबंध करेगा, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा और इस संहिता में दर्शाई गई समय सीमा में विद्युत प्रदाय करेगा। संतुष्ट नहीं होने पर अनुज्ञप्तिधारी वायरिंग में पाई गई कमियों (खामियों) की लिखित सूचना उपभोक्ता को देगा। आवेदक को खामियों को दुरुस्त कराना होगा। तत्पश्चात् निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जावेगा।

4.27 सारे कार्य कंडिका क्रमांक 4.77 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में पूर्ण किये जायेंगे।

(बी) बहु-उपभोक्ता परिसरों सहित व्यवसायिक परिसरों में निम्न दाब विद्युत आपूर्ति:-

4.28 नई विद्युत आपूर्ति देने के उद्देश्य से ऐसा भवन अथवा भवनों का समूह जिसमें एक से अधिक कनेक्शन दिये जाने हों एवं कुल विद्युत भार 50 किलोवाट या उससे अधिक हो, को बहुउपभोक्ता परिसर कहा जायेगा।

4.29 बहुउपभोक्ता परिसर को पर्याप्त क्षमता के एक पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो 100 के.व्ही. से कम नहीं हो, विद्युत आपूर्ति की जावेगी। उच्चदाब लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर एवं निम्नदाब लाइन/केबल सहित विस्तार कार्य की लागत डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी।

4.30 डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता, "सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्ज" (प्रणाली उन्नयन प्रभार) का भुगतान भी करेगा। सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्ज उपभोक्ताओं से वसूल करने योग्य वह प्रभार है जो अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु लिया जाता है।

4.31 यदि विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर आवासीय कालोनी को विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो अथवा आवासीय कालोनी का भार 2150 किलोवाट से अधिक हो तो डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता को आवश्यक क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र तथा इससे संबंधित 33 के.व्ही. लाइन के निर्माण की लागत वहन करनी होगी। ऐसे प्रकरणों में सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्ज, यदि कोई हो, का भुगतान आयोग द्वारा अनुमोदित "शेड्यूल ऑफ़ मिसलेनियस चार्ज" के अनुसार नहीं करना होगा।

4.32 सभी चरणों को शामिल करते हुए बहुउपभोक्ता परिसर का विद्युत भार 1000 किलोवाट से अधिक होने की दशा में डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 के. व्ही. के उपकेन्द्र निर्माण हेतु रुपये 1/- के नाम मात्र प्रीमियम पर कम से कम 40X30 मीटर की भूमि देनी होगी। भार केन्द्र के अनुसार भूमि के स्थान का चयन क्षेत्र के प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाएगा।

4.33 "मीटर" शीर्षक के अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मीटर सामान्यतः भूतल पर लगाए जायेंगे।

4.34 वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र एवं मीटर स्थापना के लिए आवश्यक भूमि / कमरा डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का किराया / प्रीमियम का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया जायेगा। ट्रांसफार्मर सामान्यतः खुले स्थानों में रखे जाने चाहियें। यदि ट्रांसफार्मर की स्थापना किसी कमरे या बंद स्थान में किया जाना अपरिहार्य हो तो प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सुरक्षा के सभी उपाय किये जाना चाहियें।

- 4.35 लिफ्ट, वाटर पम्प इत्यादि जैसे सार्वजनिक उपयोग के कनेक्शन, बिल्डर / डेवलपर/समिति के नाम पर दिये जायेंगे। यदि प्रकोष्ठ स्वामियों की ओर से व्यक्तिगत प्रकोष्ठों के आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो बिल्डर / डेवलपर/ समिति के नाम पर कनेक्शन दिये जा सकते हैं। ऐसे कनेक्शन बाद में, निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर, संबंधित स्वामी/कब्जेदार के नाम पर स्थानांतरित किये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तिगत कनेक्शन का अनुबंध तदनुसार निष्पादित किया जायेगा।
- 4.36 उस मामले में, जहाँ कि मूल योजना बहु-उपभोक्ता परिसर हेतु अनुमोदित हो, लेकिन बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता इसके एक भाग के लिये कनेक्शन चाहता हो तो इसको एक बहु-उपभोक्ता परिसर मानते हुये कनेक्शन दिया जायेगा।
- 4.37 अतिरिक्त निर्माण या भार की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण यदि कोई भवन, बहु-उपभोक्ता परिसर की श्रेणी में आता है एवं यदि इस बिल्डिंग में विद्युत आपूर्ति देने में पर्याप्त क्षमता का एक अलग से वितरण ट्रांसफार्मर पूर्व में स्थापित नहीं किया गया था तो बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता के व्यय पर इसकी स्थापना की जावेगी। एक विकल्प के रूप में बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता विद्यमान उपकेन्द्र की क्षमता में समुचित वृद्धि, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी रूप से साध्य पाया जावे, की व्यवस्था करेगा। तथापि सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेंस, यदि कोई हो, केवल नवीन कनेक्शनों या अतिरिक्त भार वृद्धि हेतु ही भुगतान योग्य होंगे।
- 4.38 बहु-उपभोक्ता परिसर के माप दण्डों पर विचार करने के प्रयोजन, सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जेंस की गणना एवं वितरण प्रणाली के विकास एवं विस्तार हेतु बहु-उपभोक्ता परिसर के भार की गणना निम्न आधार पर की जावेगी (क्षेत्रफल व्यक्तिगत इकाई का निर्मित क्षेत्रफल दर्शाता है):

क्षेत्रफल	भार
(अ) 400 वर्ग फीट तक	1.5 किलोवॉट
(ब) 400 वर्ग फीट से अधिक तथा 700 वर्ग फीट तक	2.0 किलोवॉट
(स) 700 वर्ग फीट से अधिक तथा 1000 वर्ग फीट तक	3.0 किलोवॉट
(द) 1000 वर्ग फीट से अधिक तथा 1300 वर्ग फीट तक	4.0 किलोवॉट
(इ) 1300 वर्ग फीट से अधिक तथा 1600 वर्ग फीट तक	5.0 किलोवॉट
(फ) 1600 वर्ग फीट से अधिक तथा 2000 वर्ग फीट तक	7.0 किलोवॉट
(ज) 2000 वर्ग फीट से अधिक तथा 2500 वर्ग फीट तक	10.0 किलोवॉट
(ह) 2500 वर्ग फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त 500 वर्ग फीट या उसके भाग के निर्मित क्षेत्रफल के लिए एक किलोवॉट भार की गणना की जावेगी।	

उपरोक्त मापदण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु है। वाणिज्यिक परिसर के लिये प्रत्येक 100 वर्गफीट निर्मित क्षेत्रफल हेतु। किलोवाट के आधार पर, विद्युत भार का निर्धारण किया जायगा।

लिफ्ट, वाटर पम्प, पार्किंग लाइट इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के बराबर लिया जायेगा।

भार आंकलन की ऊपर उल्लेखित प्रक्रिया बहु-उपभोक्ता परिसरों के भार निर्धारण में एक रूपता लाने के उद्देश्य से है। तथापि सुरक्षा निधि इत्यादि का निर्धारण व्यक्तिगत उपभोक्ता को कनेक्शन देते समय उसके द्वारा घोषित एवं परीक्षण पत्र में इंगित भार के आधार पर किया जायेगा।

4.39 बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता से बहुउपभोक्ता परिसरों अथवा व्यावसायिक परिसरों की विद्युत आपूर्ति का आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कण्डिका 4.18 से 4.27, में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार आपूर्ति उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(सी) आवासीय कालोनियों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति

4.40 आवासीय कालोनी के बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ताओं द्वारा 11 के.व्ही. लाईन, वितरण ट्रांसफार्मर एवं निम्नदाब लाइन/निम्नदाब केबल्स की लागत सम्मिलित करते हुए विस्तार कार्य की लागत वहन करना होगी तथा सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस का भुगतान भी करना होगा।

यदि विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि कर आवासीय कालोनी को विद्युत आपूर्ति किया जाना संभव नहीं हो अथवा आवासीय कालोनी का भार 2150 किलोवॉट से अधिक हो तो सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस के बदले डेवलपर/बिल्डर /समिति/ उपभोक्ता को कालोनी हेतु आवश्यक 33 के.व्ही. लाइन एवं वांछित क्षमता के 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की लागत वहन करनी होगी। ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को, आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों की अनुसूची के अनुसार सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस का भुगतान नहीं करना होगा।

4.41 आवासीय कालोनी के मापदण्डों में एकरूपता लाने, वितरण प्रणाली के विस्तार के प्रयोजन से आधारभूत संरचना के विकास एवं सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस, यदि कोई हों, की गणना के लिए, आवासीय कालोनी के भार की गणना निम्न आधार पर की जायेगी (क्षेत्रफल भूखण्ड का क्षेत्रफल दर्शाता है) :

क्षेत्रफल	भार
(अ) 500 वर्ग फीट तक	1.0 किलोवॉट
(ब) 500 वर्ग फीट से अधिक 1000 वर्ग फीट तक	2.0 किलोवॉट
(स) 1000 वर्ग फीट से अधिक 1500 वर्ग फीट तक	3.0 किलोवॉट
(द) 1500 वर्ग फीट से अधिक 2000 वर्ग फीट तक	4.0 किलोवॉट
(इ) 2000 वर्ग फीट से अधिक 2400 वर्ग फीट तक	5.0 किलोवॉट
(फ) 2400 वर्ग फीट से अधिक 3000 वर्ग फीट तक	7.0 किलोवॉट
(ज) 3000 वर्ग फीट से अधिक 3500 वर्ग फीट तक	10.0 किलोवॉट
(ह) ई.डब्ल्यू.एस. के प्लॉट या घर	1.0 किलोवॉट

लिफ्ट, वाटर पम्प, पार्किंग लाईट, सड़क बत्ती आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का भार डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता द्वारा घोषित भार के बराबर होगा। यदि बाद में बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता उपरोक्त भूखण्डों के विक्रय के स्थान पर विक्रय के लिए मकानों या भवनों का निर्माण करते हैं तो कण्डिका 4.38 में दिये मार्गदर्शन के आधार पर भार का पुनर्गणना की जायेगी। इस नवीन गणना के अनुसार भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो उसका भुगतान करने हेतु डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता बाध्य होंगे। इसके लिये अतिरिक्त प्रणाली विस्तार की लागत का भुगतान भी डेवलपर/बिल्डर/समिति/ उपभोक्ता को करना होगा।

भार के गणना की उपरोक्त उल्लेखित प्रक्रिया, प्रभारों की गणना तथा वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता एवं संख्या और उच्चदाब/निम्नदाब लाइनों की लंबाई निर्धारित करने के उद्देश्य से है। तथापि, सर्विस कनेक्शन प्रभार, सुरक्षा निधि इत्यादि की गणना व्यक्तिगत उपभोक्ता को कनेक्शन प्रदाय करते समय उसके द्वारा घोषित एवं परीक्षण पत्र में इंगित भार के आधार पर की जायेगी।

4.42 बिल्डर/डेवलपर/समिति/उपभोक्ता से आवासीय कालोनी के लिये आपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, कण्डिका 4.18 से 4.27, जो लागू हो, में दिये अनुसार विद्युत आपूर्ति देने की कार्यवाही करेगा ।

(डी) अवैध कालोनी/बहु-उपभोक्ता परिसर को निम्नदाब विद्युत आपूर्ति:

4.43 ऐसी आवासीय कालोनी/बहु-उपभोक्ता परिसर जिन्हें उन पर लागू विधि या नियमों के अधीन राज्य शासन/स्थानीय प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त नहीं है, उन्हें अवैध कालोनी माना जायगा और उनकी विद्युत आपूर्ति तब की जायगी जब राज्य शासन के अनुमोदन से संबन्धित नगर निगम/म्यूनिसिपलिटी के आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाय कि उन्हें विद्युत प्रदाय करना जनहित में है ।

4.44 सभी चरणों को शामिल करते हुए, उक्त कण्डिका 4.41 के आधार पर यदि किसी आवासीय कालोनी का भार 1000 किलोवाट से अधिक आता है तो डेवलपर/बिल्डर/समिति/उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33/11 के.वी0 उपकेन्द्र का निर्माण करने हेतु, रु. 1/- के नाम मात्र प्रीमियम पर कम से कम 40X30 मीटर भूमि देंगे। भारकेन्द्र के अनुसार भूमि के स्थान का चयन क्षेत्र के प्रभारी कार्यपालन यन्त्री द्वारा किया जायगा ।

4.45 ऐसी कालोनी/परिसर के विद्युत भार की गणना कण्डिका 4.38 या 4.41, जैसा भी प्रकरण है, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जायगी ।

4.46 चूँकि ऐसी कालोनी के बाहरी विद्युतीकरण हेतु किसी डेवलपर/बिल्डर/एजेन्सी के आगे आने की संभावना नहीं है अतः संपूर्ण कालोनी/परिसर के बाहरी विद्युतकरण की लागत तथा सिस्टम स्ट्रेंग्थनिंग चार्जस का व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा समानुपातिक भुगतान करने पर उसे विद्युत आपूर्ति की जायगी ।

(ई) कृषि/सिंचाई पंप सेटों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति

4.47 जहां पर वितरण लाइनों का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि आवश्यक नहीं है वहां कण्डिका 4.18 से 4.27, जो लागू हो, के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया का पालन कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत आपूर्ति करने में किया जायेगा ।

4.48 पंजीकृत सहकारी समिति अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसानों के समूह को भी कृषि/सिंचाई पम्प सेट हेतु एक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जा सकती है ।

4.49 परिसर का निरीक्षण करने पर यदि वितरण लाइनों का विस्तार और/अथवा वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक पाया जाता है तो शासन या वित्तीय संस्था, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, से उपलब्ध वित्तीय सहायता से कार्य करने की संभावना की जांच की जायेगी । लाईन विस्तार आवश्यक ना होने पर निरीक्षण से 10 दिन में तथा लाईन विस्तार आवश्यक होने पर निरीक्षण से 30 दिनों में उपभोक्ता को यह सूचना दी जायेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के संसाधनों से कार्य करेगा अथवा उपभोक्ता द्वारा कार्य की लागत का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत कार्य करेगा । यदि आंकलित व्यय के उपभोक्ता द्वारा भुगतान के बाद ही कार्य किया जाना हो तो उस मामले में, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उपरोक्त सूचना के साथ राशि की जानकारी भी देगा । ऐसे पम्प सेट (सेटों) के विद्युतीकरण का कार्य, जिसके कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता(ओं) द्वारा किया गया है और जिसमें विद्युत आपूर्ति देने हेतु विस्तार कार्य भी शामिल है, उपभोक्ता(ओं) द्वारा राशि जमा करने

पर कंडिका 4.77 में दर्शाई अवधि में पूर्ण किया जायेगा । लंबी प्रतीक्षा सूची होने पर नये कनेक्शन का कार्य प्रथम आवे प्रथम पावे के वृहद् सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने से 07 कार्यकारी दिवस में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने और एक माह में कनेक्शन लेने का लिखित नोटिस भेजेगा और उपभोक्ता को परीक्षण प्रपत्र देने हेतु लिखेगा। उपभोक्ता से परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, 03 दिवस में स्थापना की जाँच करेगा। यदि वह परीक्षण प्रपत्र एवं उपभोक्ता की परिसर की वायरिंग से संतुष्ट है तो निरीक्षण की दिनांक से 03 दिवस में कनेक्शन प्रदान कर दिया जायेगा ।

(एफ) सार्वजनिक सड़क बत्तियों को निम्न दाब विद्युत आपूर्ति :-

- 4.50 नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियों के संदर्भ में आगे सामान्यतः “स्थानीय निकाय” कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा ।
- 4.51 सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है वहां के विद्यमान या नवीन खंभो की संख्या दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय, जो नवीन सड़क बत्ती कनेक्शन के लिये आवेदन कर रहा है, पर किसी अन्य कनेक्शन के विरुद्ध विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी सड़क बत्ती कनेक्शन प्रदान नहीं करेगा, जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित ना किया जावे ।
- 4.52 फिटिंग्स, ब्रेकेट्स तथा विशेष फिटिंग्स भारतीय मानक संस्थान के द्वारा निर्धारित मापदण्डों या इसके समतुल्य के अनुरूप होंगे तथा विद्यमान नियमों एवं विनियमों के तहत सुरक्षात्मक दूरी पर लगाये जावेंगे। समस्त फिटिंग्स व ब्रेकेट्स सहित, सार्वजनिक सड़क बत्ती की विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की पूर्ण लागत, स्थानीय निकाय को वहन करनी होगी । किसी विशेष फिटिंग को लगाये जाने की स्थिति में स्थानीय निकाय उसकी व्यवस्था करेगा ।
- 4.53 अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन के दिनांक से 30 दिवसों में ग्रामीण क्षेत्र में तथा 15 दिनों में शहरी क्षेत्र में, विस्तार कार्य की लागत की सूचना देगा। स्थानीय निकाय द्वारा राशि का भुगतान एवं अनुबन्ध निष्पादित करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।
- 4.54 विद्युत मीटर एवं सड़क बत्ती स्विच/एम.सी.बी./टाईमर की स्थापना के लिये एक समुचित डबल कम्पार्टमेन्ट वेदर प्रूफ मैटल बाक्स (द्विखंडीय मौसम-रोधी धातु का बक्सा) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जायेगा ।
- 4.55 अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती को स्थानीय सूर्यास्त के समय से 15 मिनट पूर्व चालू करने एवं स्थानीय सूर्योदय के समय से 15 मिनट के बाद बंद करने की व्यवस्था करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, सड़क बत्ती उपभोक्ताओं के निवेदन पर खंभो पर लगे फिक्सचर्स/बल्बों (वर्तमान के विद्युत भार के अनुरूप) के बदलने का कार्य भी करेगा । फिक्सचर्स, बल्ब इत्यादि स्थानीय निकाय द्वारा प्रदाय करने के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बदलें जायेंगे । ऐसी समस्त सेवायें भुगतान योग्य होंगी। ऐसे रख-रखाव प्रभारों को विविध प्रभारों (शेड्यूल ऑफ मिसलेनियस चार्जर्स) की अनुसूची में शामिल किया जायेगा ।

(जी) अस्थायी विद्युत प्रदाय :-

- 4.56 कोई व्यक्ति जिसे एक वर्ष से कम अवधि के लिये अस्थायी स्वरूप के प्रयोजन हेतु विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता हो, निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 1 व 2) में अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिये आवेदन पत्र दे सकता है। अस्थायी कनेक्शन दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है। यह केवल तभी दिया जा सकता है जब यह तकनीकी रूप से साध्य हो और भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 29 और 30 में विहित सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन करने के अधीन हो। सामान्यतः 10 किलोवाट तक के विद्युत भार के अस्थायी विद्युत प्रदाय की आवश्यकता के लिए 07 दिवस पूर्व तथा इससे अधिक भार के लिये 30 दिवस पूर्व आवेदन देना होगा।
- 4.57 यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु चाहा गया है जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता होगी तो अस्थायी कनेक्शन की स्वीकृति के पहले स्थायी कनेक्शन दिये जाने बाबत साध्यता की जाँच की जायगी। अस्थायी कनेक्शन दिये जाने के पूर्व आवेदक को स्थायी कनेक्शन की साध्यता के विषय में सूचित किया जायगा।
- 4.58 उपभोक्ता को अपने विद्युत उत्पादन संयंत्र का रख-रखाव करने या किसी आकस्मिक परिस्थिति में विद्युत की आवश्यकता हो तो उसे अस्थायी विद्युत प्रदाय किया जा सकता है।
- 4.59 आवेदक, जहाँ अस्थायी कनेक्शन की आवश्यकता है, कंडिका 4.14 में दर्शाये अनुरूप उस स्थान के आधिपत्य का सबूत अथवा स्थानीय निकाय या परिसर के स्वामी की स्वीकृति, जैसा प्रकरण हो, भी प्रस्तुत करेगा। यदि अस्थायी विद्युत प्रदाय, ऐसे परिसर/स्थान में चाहिये जहाँ 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो तो उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 54 में निहित प्रावधानों का पालन करना होगा।
- 4.60 यदि विद्युत प्रदाय दिया जाना संभव है तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को विस्तार कार्य, सर्विस लाईन, मीटर, कट-आउट/एम.सी.बी. आदि के लगाने व हटाने की लागत, प्रदाय की अवधि की आंकलित खपत के प्रभारों और उपकरण एवं सामग्री का किराया सहित भुगतान किए जाने वाले प्रभारों की सूचना देगा। समस्त प्रभार अग्रिम रूप से देय होंगे। यदि उपलब्ध हों तो, अनुज्ञप्तिधारी, प्रीपेड मीटर लगायेगा। उपभोक्ता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि विद्युत प्रदाय के विच्छेदन के पश्चात् वह वापस निकाली गई सामग्री को प्राप्त करे अथवा इस सामग्री, जो कि अच्छी स्थिति में निकाली जाकर भण्डार में वापस करने योग्य हो, के मूल्य का समायोजन उसके उक्त अस्थायी कनेक्शन के अंतिम बिल में प्रचलित नियमानुसार प्राप्त करे।
- 4.61 यदि 90 दिवस से अधिक की अवधि के लिए अस्थाई प्रदाय की आवश्यकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 90 दिवस की आंकलित खपत के प्रभारों के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दे सकता है और मासिक खपत के बिलों को प्रेषित कर सकता है। यदि उपभोक्ता समय पर विद्युत देयक का भुगतान नहीं करता है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिया गया अग्रिम बाकी बची समयावधि के लिये अपर्याप्त है, तो विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकता है।
- 4.62 यदि कृषि उपभोक्ता चाहे तो, कृषि उपयोग हेतु अस्थायी कनेक्शन के लिये आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता प्रस्तावित कनेक्शन की अवधि की भुगतान योग्य सम्पूर्ण देयक राशि का अग्रिम भुगतान करेगा। अस्थायी कनेक्शनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्तें भी इस पर लागू होंगी। इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी होने पर उपभोक्ता को पुराने बकायों का भुगतान होने तक नया कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी को, इस प्रावधान के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति के लिये विशेष रूप से स्थापित किये गये उपकरण को, आपूर्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, हटाने का अधिकार होगा।

- 4.63 उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने पर, अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, 10 कि.वा. भार तक 03 दिवस के अन्दर व अन्य प्रकरणों में 15 दिवस में विद्युत का प्रदाय चालू करेगा । ऐसे प्रकरणों में जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है, अनुज्ञप्तिधारी 60 दिवसों के अन्दर निम्न दाब उपभोक्ता, 90 दिवसों के अन्दर उच्च दाब उपभोक्ता एवं 180 दिनों के अन्दर अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय चालू करेगा ।
- 4.64 यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक खपत के प्रभार अग्रिम भुगतान से अधिक न हो, अस्थाई कनेक्शन की अवधि के दौरान मीटर की रीडिंग की जा सकती है ।
- 4.65 अस्थाई प्रदाय की अवधि पूरी होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, अन्तिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो, को मूल भुगतान रसीद प्राप्त करने अथवा क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिवस के अन्दर वापस करेगा। इस अवधि से ज्यादा विलम्ब के दिनों की संख्या के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, वापसी योग्य बकाया राशि पर एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान, भुगतान के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि से अधिक विलंब दिवसों के लिये, करने के लिये बाध्य होगा ।
- 4.66 यहां बनाये गये प्रावधानों के समुचित पालन तथा कोई कनेक्शन बिना बकायों की प्राप्ति के नहीं दिया गया है, इस संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व जाँच के लिये, अनुज्ञप्तिधारी, एक प्रक्रिया का निर्धारण करेगा ।

(एच) उच्च दाब पर विद्युत आपूर्ति :-

- 4.67 उच्चदाब पर विद्युत की आपूर्ति के निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को आवेदित कनेक्शन साध्यता की जांच के लिये निरीक्षण के दिनांक की लिखित सूचना देगा। विद्युत प्रदाय की साध्यता अथवा अन्यथा की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन के प्राप्त होने के 15 दिवसों के भीतर आवेदक को दी जावेगी । उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के समय उपस्थित रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की साध्यता की जांच करेगा तथा साध्य पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता की लाईन के प्रवेश का स्थान, मीटर, मीटरिंग इक्युपमेंट व आपूर्ति कर्ता के अन्य उपस्करों का स्थान तय करेगा । उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की लिखित अनुमति पर अपने उच्चदाब स्विचगियर तथा अन्य उपकरण, ऊर्जा प्रदाय हेतु उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के बीच में अनुबंध में आवश्यक रूप से निहित करने के पश्चात्, उसी कमरे/बक्से में लगा सकेगा, परन्तु इसका किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग नहीं करेगा । अनुज्ञप्तिधारी जहाँ उचित समझे, लाईन के अंतिम गाले के लिये एरियल बन्ड केबल के उपयोग के लिये आग्रह कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्तिम गाले में लगाये जाने वाले एरियल बन्ड केबल तथा शिरोपरि कण्डक्टर की लागत के अन्तर को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा । उच्च दाब स्थापना के मामले में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से कक्ष (क्यूबिकल) उपलब्ध कराने का आग्रह करेगा ।
- 4.68 उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 33 के.व्ही पर विद्युत आपूर्ति, सामान्यतः 33 के.व्ही. औद्योगिक संभरकों (फीडरों) से की जायेगी । ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके सतत् प्रक्रिया उद्योग हों अथवा जिनका भार 3 एम.वी.ए. या उससे अधिक हो, के प्रकरणों में विद्युत की आपूर्ति निकटतम 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से एक पृथक संभरक के माध्यम से की जाना श्रेयस्कर होगी ।

- 4.69 उच्चदाब उपभोक्ताओं (11 के.व्ही.या 33 के.व्ही., दोनों पर) को सामान्यतः विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरकों से नहीं की जावेगी। यदि निकटतम 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब उपकेन्द्र से पृथक फीडर खींचने की अत्यधिक लागत के कारण अथवा किसी अन्य कारण से विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण संभरक से दी जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा, कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण संभरकों की विद्युत आपूर्ति को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जावेगा। ऐसे उपभोक्ता, आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिये अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दायित्व ना होने का एक घोषणा पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देंगे।
- 4.70 साध्यता सूचित करने के 30 दिवस के अंदर, अनुज्ञप्तिधारी, विस्तार कार्य की लागत, सुरक्षा निधि की राशि सहित भुगतान की जाने वाली अन्य राशि, यदि कोई हो, की सूचना उपभोक्ता को देगा तथा साथ ही अनुबंध के प्रारूप की प्रति भी भेजेगा।
- 4.71 प्रभारों, सुरक्षानिधि के भुगतान तथा अनुबंध के निष्पादन के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, मेन्स के विस्तार का कार्य प्रारंभ करेगा। उपभोक्ता यदि चाहे तो आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को कर, स्वयं कार्य का निष्पादन कर सकता है। विस्तार कार्य आवश्यक होने पर 90 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण किया जायेगा। मीटरिंग प्रणाली की स्थापना सहित उपभोक्ता परिसर तक लाइन के विस्तार का कार्य पूर्ण होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्ध होने की सूचना देगा। स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण पत्र एवं विद्युत निरीक्षक से स्थापना के ऊर्जाकरण की स्वीकृति प्रस्तुत करेगा। खदानों के प्रकरण में खदान निरीक्षक की स्वीकृति प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। जहाँ लागू हो, जल एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल जैसे वैज्ञानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति भी प्रस्तुत की जायगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण किये जाने की दिनांक लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित करेगा। उपभोक्ता की स्थापना सही पाये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को सील करेगा तथा कनेक्शन प्रदान करेगा।

(आई) अति उच्चदाब पर विद्युत आपूर्ति

- 4.72 अति उच्चदाब पर विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में आवेदन मिलने पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को लिखित में विद्युत आपूर्ति की साध्यता की जांच करने हेतु स्थल निरीक्षण की तिथि नियत कर सूचना देगा। अनुज्ञप्तिधारी और पारिषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करेंगे। उपभोक्ता अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की जांच करेंगे तथा यदि उपभोक्ता को आपूर्ति दी जाना साध्य हो तो आपूर्ति का बिन्दु, मीटर की स्थिति, मीटरिंग प्रणाली और अन्य उपकरण कहां स्थापित होना है, इसका निर्णय करेंगे। सामान्यतः अति उच्च दाब लाईन को बीच में टेप नहीं किया जायगा। उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर विद्युत उपलब्धता की साध्यता की जानकारी, अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित आवेदक को देगा।
- 4.73 अनुज्ञप्तिधारी, साध्यता सूचित करने के 60 दिवसों के अंदर विस्तार कार्य की लागत, सुरक्षा निधि की राशि अन्य प्रभारों सहित भुगतान की जाने वाली राशि की सूचना उपभोक्ता को देगा, तथा साथ ही अनुबंध के प्रारूप की प्रति भी प्रेषित करेगा।
- 4.74 उपभोक्ता से मांगी गई राशि, सुरक्षा निधि आदि प्राप्त होने तथा अनुबंध को निष्पादित करने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारिषण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए विस्तार कार्य करने के संबंध में निवेदन किया जायेगा। यदि उपभोक्ता चाहे तो अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान के पश्चात् स्वयं यह कार्य करवा सकता है। यह कार्य 180 दिवसों में पूर्ण किया जावेगा।

- 4.75 उपभोक्ता के आंतरिक विद्युत व्यवस्थापन में सभी कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपभोक्ता को परीक्षण पत्र एवं विद्युत निरीक्षक से परिसर को ऊर्जीकृत करने की अनुमति अनुज्ञप्तिधारी को सौंपनी होगी (भारतीय विद्युत नियम का नियम 47 देखें) जहाँ लागू हो वहाँ जल एवं प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जैसे वैधानिक प्राधिकरणों से अनुमति भी प्रस्तुत करनी होगी । खान से संबंधित प्रकरणों में खदान निरीक्षक से अनुमति का पत्र उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को देगा । उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने पर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उसके परिसर के निरीक्षण तथा परीक्षण की तिथि की लिखित सूचना देगा । यदि उपभोक्ता का व्यवस्थापन सही पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर को लगाकर सील करेगा तथा कनेक्शन चालू करेगा ।
- 4.76 इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत प्रदाय हेतु बाध्य नहीं करेगी, यदि इस संहिता की कण्डिका 12.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हों ।
- 4.77 निम्नलिखित सारणी उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए नियत अवधि को दर्शाती है:—

क्रमसंख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय—सीमा
1.	निम्नदाब कनेक्शन	
(ए)	पूर्ण आवेदन प्राप्त उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना	
	(i) शहरी क्षेत्र	02 कार्य दिवस
	(ii) ग्रामीण क्षेत्र	05 कार्य दिवस
(सी)	(i) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है)	
	(ए) शहरी क्षेत्र	05 कार्य दिवस
	(बी) ग्रामीण क्षेत्र	07 कार्य दिवस
	(ii) आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है)	
	(ए) शहरी क्षेत्र	10 कार्य दिवस
	(बी) ग्रामीण क्षेत्र	22 कार्य दिवस
(डी)	आपूर्ति की उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदाय करना, जहां अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली विद्यमान हो	
	(i) आवश्यक प्रभारों के भुगतान के बाद (यदि कनेक्शन को विद्यमान वितरण मेन्स से दिया जाना है)	
	(अ) शहरी क्षेत्र	15 कार्य दिवस
	(ब) ग्रामीण क्षेत्र	15 कार्य दिवस
	(ii) विद्युत आपूर्ति चालू करने हेतु आवश्यक	

	<p>प्रभारों के भुगतान के उपरांत (यदि विस्तार कार्य आवश्यक है या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना है)</p> <p>(ए) कृषि कनेक्शन को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन</p> <p>(बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध है ।</p> <p>(सी) कृषि कनेक्शन ऐसे मौसम में जब पहुँच उपलब्ध नहीं है</p>	<p>60 दिन</p> <p>90 दिन</p> <p>180 दिन पहुँच उपलब्ध कराने की तिथि के उपरान्त</p>
2.	<p>उच्चदाब उपभोक्ता</p> <p>(ए) आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना</p> <p>(बी) प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (सूचना जारी होने के बाद)</p> <p>(सी) प्राक्कलित प्रभारों के भुगतान उपरांत विद्युत प्रदाय प्रारम्भ करने के लिये विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना देने/विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की अवधि</p> <p>(i) यदि विस्तार कार्य न किया जाना हो</p> <p>(ii) यदि विस्तार कार्य किया जाना हो</p>	<p>15 कार्य दिवस</p> <p>30 दिन</p> <p>30 दिन</p> <p>90 दिन</p>
3.	<p>अति उच्चदाब कनेक्शन</p> <p>(ए) आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना</p> <p>(बी) साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना</p> <p>(सी) प्राक्कलित प्रभार की राशि मिलने के बाद विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपलब्धता की सूचना जारी करना/कनेक्शन प्रदाय करना ।</p>	<p>15 कार्य दिवस</p> <p>60 दिन</p> <p>180 दिन (लाइन विस्तार कार्य होने के कारण) (उपभोक्ता द्वारा विद्युत निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त कर जमा करने के अधीन)</p>

4.78 अनुज्ञापतिधारी द्वारा विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने हेतु प्राथमिकता पंजी बनाई जायेगी, जिसमें आवेदनों को निम्नलिखित श्रेणी में पंजीबद्ध किया जावेगा :-

- (अ) जहां वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता नहीं है ।
- (ब) जहां दो खम्बों तक वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है ।
- (स) जहां दो से ज्यादा खम्बों के वितरण मेन्स के विस्तार की आवश्यकता है ।

4.79 आयोग, कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर, कण्डिका 4.1 से 4.78 में निहित प्रावधानों से अलग निर्देश दे सकता है यदि आयोग के विचार में ऐसे परिस्थितिजन्य कारण हों । ऐसे निर्देश आयोग द्वारा अनुज्ञापतिधारी को एक आदेश के तहत जारी किये जावेंगे ।

अध्याय 5: आपूर्ति का बिन्दु एवं परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण

आपूर्ति का बिन्दु

- 5.1 जब तक कि किसी और पर सहमति न हो, आपूर्ति के प्रारंभ का बिन्दु अनुज्ञप्तिधारी के बाहरी टर्मिनल (आउटगोईंग टर्मिनल) पर होगा:
- (ए) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट; एवं
- (बी) उच्च अथवा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी आपसी सहमति से स्थापित किया जावेगा ।
- 5.2 अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट/एमसीबी/कंट्रोल स्विचगियर के पहले आने वाले टर्मिनल (इनकमिंग टर्मिनल) पर उपभोक्ता परिसर में एकल बिन्दु पर विद्युत प्रदाय दी जायेगी (देखें कण्डिका 4.17)। तथापि कोयला खदानों के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता की स्थापना के भौतिक नक्शे (ले आउट) तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता की स्थापना में एक से अधिक बिन्दु पर भी आपूर्ति दे सकता है ।

समर्पित फीडर

- 5.3 ऐसे उपभोक्ता जो समर्पित (डेडीकेटेड) फीडर की सुविधा चाहते हों वे इस सुविधा के लिये अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन कर सकते हैं । समर्पित फीडर को विद्युत उपकेन्द्र से उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के प्रारम्भ बिन्दु तक विस्तारित किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को समर्पित फीडर हेतु, फीडर की लागत के अलावा, पावर उपकेन्द्र में लगाने वाले स्ट्रक्चर (बे), सुरक्षा उपकरण (प्रोटेक्शन स्विच गेयर) तथा इसके उपस्करों की लागत वहन करनी होगी । आवेदन के प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, समर्पित फीडर की प्रावीण्यता के आधार पर इसकी साध्यता का परीक्षण करेगा । ऐसा समर्पित फीडर अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी और उसका रख-रखाव अनुज्ञप्तिधारी करेगा। फीडर के चालू होने के दिनांक से दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि में इससे किसी अन्य उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी का उपकरण

- 5.4 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक, अपने स्वामित्व की भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा उपभोक्ता एवम् अन्य उपभोक्ताओं की सेवा हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से डायरेक्ट केबल या शिरोपरि लाइनों को लाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायेगा । इसके अलावा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक स्विचगियर एवं उनके संयोजनों को लगाने हेतु तथा अपने परिसर में लगे केबल और टर्मिनल से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्वीकृति देगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतानुसार उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा ।
- 5.5 अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले/उपभोक्ता द्वारा दिये गये मीटर, कट आउट/एम.सी.बी., सर्विस मेन्स तथा अन्य उपकरण किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये या हटाये नहीं जायेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि न हो । सीलें, जो कि मीटर/मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण पर लगी हों, किसी भी कारण से

छेड़ी, नष्ट अथवा तोड़ी नहीं जायें । उपभोक्ता के परिसर में लगे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा मीटर/मीटरिंग उपकरणों पर लगी सीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी ।

- 5.6 यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के किसी कार्य, उपेक्षा अथवा गलती से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जायेगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग के पश्चात् यदि उपभोक्ता इसका भुगतान नहीं करता है तो इसे आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों और निबन्धन का उल्लंघन माना जायेगा तथा समुचित सूचना के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी । हालांकि, उपभोक्ता इस संहिता की धारा 7.20 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होगा ।
- 5.7 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिन से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है ।

आपूर्ति में अवरोध/फ्यूज उड़ना

- 5.8 यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस लाइन का फ्यूज या अन्य फ्यूज गलकर टूट जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में, आयोग द्वारा अनुमोदित आंतरिक "शिकायत निवारण तंत्र" के अनुसार, शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। केवल अधिकृत कर्मचारी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया फोटो परिचय पत्र हो, को अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट फ्यूज बदलने के लिये अनुमति होगी । उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुमति नहीं होगी । अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की आंतरिक स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहिए ।
- 5.9 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सतत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा लेकिन कण्डिका 12.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुये विद्युत प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके प्लांट व मशीनरी को पहुंचे नुकसान या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 5.10 अनुज्ञप्तिधारी, उसकी आपूर्ति प्रणाली के संचालन से संबद्ध उद्देश्यों के लिये विद्युत आपूर्ति में ऐसी अवधि, जो कि आवश्यक हो, के अस्थायी विच्छेदन का हकदार होगा बशर्त इस संबंध में उपभोक्ता को उचित अग्रिम नोटिस दिया गया हो एवम् ऐसा उद्देश्य हो कि उपभोक्ता को कम से कम असुविधा हो ।

अध्याय –6: उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग तथा उपकरण

उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग, उपस्करों तथा उपकरणों की स्थापना

- 6.1 उपभोक्ता तथा सामान्य जनता की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर की वायरिंग भारतीय विद्युत नियम, 1956 तथा अग्नि बीमा कम्पनी के नियमों के अनुसार हो, जिसके शर्तों पर भवन का बीमा हुआ हो तथा कार्य अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किया गया हो । वायरिंग में उपयोग किया गया सामान भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित विवरणों या इसके समतुल्य के अनुसार हो। उपयोग किया जाने वाला सभी सामान, जहां लागू हो, आई.एस. आई. चिन्हित होगा। जैसे ही उपभोक्ता की स्थापना सभी प्रकार से पूर्ण हो जाती है तथा

उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा परीक्षण कर लिया जाता है, उपभोक्ता को ठेकेदार द्वारा दिया गया परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना चाहिये । इस उद्देश्य हेतु परीक्षण प्रपत्र (परिशिष्ट- 4) अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में जमा किया जायेगा। यह आवश्यक है कि प्रपत्र में दी गई शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाये अन्यथा आपूर्ति प्राप्त करने में देरी हो सकती है।

- 6.2 भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45 के अनुसार लैम्प, पंखे, फ्यूज, स्विच एवं अन्य पुर्जों के बदले जाने को छोड़कर, जो किसी भी तरह से स्थापना की क्षमता तथा स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते हों, विद्युत स्थापना का कार्य, जिसमें संकलन, परिवर्तन और सुधार कार्य तथा विद्यमान स्थापना में समायोजन निहित हो, किसी उपभोक्ता या स्वामी की ओर से, उसे विद्युत प्रदाय करने के उद्देश्य से परिसर में नहीं किया जायेगा। यह कार्य राज्य शासन द्वारा अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा सक्षमता प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा परमिट धारी व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में किया जायेगा ।
- 6.3 नियम 45 का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 139 के अन्तर्गत स्वयं को दण्ड का भागी बनायेगा ।
- 6.4 उपभोक्ता की विद्युत स्थापना के संबंध में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 32 में निहित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिये । लिंक स्विच, जो भू-योजित एवं चालू तारों (लाईव कन्डक्टर) का संचालन एक साथ करे, के अलावा कट आउट, लिंक या स्विच को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के न्यूट्रल कन्डक्टर से जोड़ने के लिये अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा ।
- 6.5 सभी प्रकार के प्रकरणों में उपभोक्ता के मेन्स को अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति बिन्दु तक लाया जायेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण से जोड़ने के लिये पर्याप्त मात्रा में केबल उपलब्ध कराई जायेगी ।

सामान्य वायरिंग शर्तें

मेन्स:

स्विच एवं फ्यूज:

- 6.6 विद्युत आपूर्ति के प्रारंभ बिन्दु के निकट उपभोक्ता द्वारा समुचित क्षमता के लिंकड विवक मेक और ब्रेक मेन स्विच की व्यवस्था प्रत्येक कन्डक्टर में विद्युत धारा के चालू तथा बंद होने के प्रबंध हेतु की जायेगी। उपभोक्ता के परिसर के स्विच चालू (लाईव) तार पर होंगे तथा न्यूट्रल तार को वहाँ पर चिन्हित किया जायेगा, जहाँ वह उपभोक्ता के मेन स्विच से मीटर में जुड़ने के लिये जाता है। किसी भी न्यूट्रल कन्डक्टर में सिंगल पोल स्विच या कट आउट अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा।

भार का सन्तुलन

- 6.7 तीन फेज आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ताओं को भारतीय विद्युत नियम के परिशिष्ट-VI के खण्ड 22 (सी) के अनुरूप प्रत्येक फेज पर भार को सन्तुलित करना होगा ।

अर्थिंग

- 6.8 अर्थिंग के प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा पानी के पाइपों का प्रयोग नहीं होगा। सभी वायरिंग को, जितना हो सके, गैस तथा पानी के पाइपों से दूर रखना होगा।

घरेलू उपकरण

- 6.9 उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग की सुरक्षा के लिये हीटर, गीजर, एयर कन्डीशनर तथा खाना पकाने के उपकरण जैसे ओवन, माईक्रोवेव ओवन के लिये उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से समुचित माप के तारों का अलग सर्किट होगा। घरेलू उपकरणों के सर्किट के लिये उपयोग किये जाने वाले दीवार प्लग 3 पिन टाईप होंगे तथा तीसरा पिन "भूमि" से जुड़ा होगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति नहीं है। स्नानघर में पानी गरम करने अथवा कपड़े धोने वाले अथवा गीली जगह में लगे हुए सभी उपकरणों को प्रभावी रूप से भू-संयोजित (अर्थ) किया जाना चाहिये।

प्लग

- 6.10 सभी प्लगों के स्विच चालू (लाइव) तार पर जुड़े हों न कि न्यूट्रल तार पर, (देखें भारतीय विद्युत नियम के परिशिष्ट – VI के खण्ड 22 (एच)।

अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में बाधा डालने वाले उपकरण

- 6.11 यदि कोई उपभोक्ता ऐसा कोई यंत्र या उपकरण स्थापित करता है, जिसके कारण दूसरे उपभोक्ताओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो अनुज्ञप्तिधारी, कारण बताते हुए, उसकी आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है। ऐसे कारणों का निराकरण अनुज्ञप्तिधारी की सन्तुष्टि के अनुसार होने पर आपूर्ति बहाल कर दी जावेगी।

ए.सी. मोटर की स्थापना

- 6.12 मोटर कन्ट्रोल गेयर के साथ लगाई जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारंभिक करंट किसी भी स्थिति में निम्न अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो।

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारंभिक करंट की सीमा
एकल फेज	1 बी.एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 6 गुना
तीन फेज	1 बी.एच.पी. से अधिक एवं 10 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 3 गुना
	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा 15 बी. एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 2 गुना
	15 बी.एच.पी. से अधिक	कुल भार के अनुरूप करंट का 1.5 गुना

इन विनियमों का परिपालन न करने पर उपभोक्ता के संयोजन को तत्काल विच्छेदित किया जा सकता है।

उपभोक्ता के उपकरण

- 6.13 उपभोक्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण/उपस्कर/छोटे यंत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों तथा मापदण्ड या समतुल्य के अनुरूप होने चाहिये।

उपकरणों का पावर फैक्टर :

वेल्डिंग ट्रांसफार्मर:

- 6.14 सभी निम्नदाब स्थापनाएँ, जिनमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का विद्युत भार कनेक्शन के कुल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो, उनमें उचित क्षमता के कैपेसिटर का होना आवश्यक है, ताकि पावर फैक्टर 85% से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। पावर फैक्टर कम होने की स्थिति में उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करने के लिये बाध्य होंगे।

निम्नदाब शन्ट कैपेसिटर

- 6.15 सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 बी.एच.पी. अथवा अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब शन्ट कैपेसिटर को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार लगाने की व्यवस्था करेगा। निम्नलिखित तालिका विभिन्न क्षमता की मोटरों पर लगाये जाने वाले कैपेसिटर्स की क्षमता दर्शाती है, जो कि केवल मार्गदर्शन हेतु है। तथापि उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि लगाया हुआ कैपेसिटर मोटरों की वास्तविक क्षमता के अनुरूप हो ताकि पावर फैक्टर 85 प्रतिशत या उससे अधिक सुनिश्चित हो सके। जहाँ पावर फैक्टर मापने में सक्षम मीटर लगाये गये हों वहाँ निम्न तालिका के अनुसार कैपेसिटर लगे होने के बावजूद औसत मासिक पावर फैक्टर की गणना मीटर में वास्तविक रीडिंग के आधार पर की जायगी।

क्रमांक	प्रत्येक इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)	निम्नदाब कैपेसिटर की कै. व्ही.ऐ.आर. क्षमता (रेटिंग)
1.	3 बी.एच.पी. एवं इससे अधिक तथा 5 बी.एच.पी. तक	1
2.	5 बी.एच.पी. से अधिक तथा 7.5 बी.ए.पी.तक	2
3.	7.5 बी.एच.पी. से अधिक तथा 10 बी.एच.पी. तक	3
4.	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा बी.एच.पी. तक	4
5.	15 बी.एच.पी. से अधिक तथा 20 बी.एच.पी. तक	5
6.	20 बी.एच.पी. से अधिक तथा 30 बी.एच.पी. तक	6
7.	30 बी.एच.पी. से अधिक तथा 40 बी.एच.पी. तक	7
8.	40 बी.एच.पी. से अधिक तथा 50 बी.एच.पी. तक	8
9.	50 बी.एच.पी. से अधिक तथा 100 बी.एच.पी. तक	9

ऐसे संयोजनों जहाँ 3 बी.एच.पी. या उससे अधिक की इन्डक्शन मोटर लगी है, को विद्युत आपूर्ति तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि उनमें पावर फैक्टर में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के कैपेसिटर नहीं लगे हों।

- 6.16 बिन्दु क्रमांक 6.15 में वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलो वॉट या अधिक है, समुचित क्षमता का कैपिसिटर लगायेंगे, ताकि पावर फैक्टर 85 प्रतिशत या उससे अधिक हो । कम पावर फैक्टर होने की दशा में ऐसे उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये, अधिभार का भुगतान करने के लिये बाध्य होंगे ।
- 6.17 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जो कि ऊपर निर्धारित किये गये निम्नदाब कैपिसिटर नहीं लगाता है या उन्हे चालू हालत में नहीं रखता है तो वह समय-समय पर टैरिफ में निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा । तथापि पावर फैक्टर मापने में सक्षम मीटर में यदि 0.85 या उससे अधिक पावर फैक्टर दर्शाया जाता है तो पावर फैक्टर अधिभार नहीं वसूला जायगा चाहे कण्डिका 6.15 के अनुसार शन्ट कैपेसिटर नहीं लगे या उपलब्ध हों। अनुमोदित टैरिफ में दर्शाये गये पावर फैक्टर अधिभार की वसूली से अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता की स्थापना को विच्छेदित करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि उचित क्षमता के शन्ट कैपिसिटर की स्थापना कर पावर फैक्टर में सुधार नहीं कर लिया जाता ।
- 6.18 यदि औसत पावर फैक्टर 70 प्रतिशत से कम हो तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की उचित सूचना के पश्चात् किसी भी विद्युत स्थापना की आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है। तथापि विच्छेदन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी का, उपभोक्ता से, प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार वसूली करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा ।

उच्चदाब उपभोक्ता

- 6.19 उच्च दाब उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित कन्ट्रोल स्थापित किये जायेंगे (देखें भारतीय विद्युत नियम का नियम – 50) :-
- (ए) ऐसे उपभोक्ता जिनके स्थापित ट्रांसफार्मर/उपकरण की कुल क्षमता 1000 के.व्ही.ए.तक हो यदि आपूर्ति वोल्टेज 11 के.व्ही. हो तथा 2500 के.व्ही.ए. तक यदि आपूर्ति वोल्टेज 33 के.व्ही. हो, के द्वारा फ्यूज युक्त लिंकस्विच या सर्किट ब्रेकर स्थापित किये जायेंगे ।
- (बी) उपभोक्ता, जिनके स्थापित ट्रांसफार्मर/उपकरण की कुल क्षमता 1000 के.व्ही.ए. से ऊपर हो, यदि आपूर्ति वोल्टेज 11 के.व्ही. है तथा 2500 के.व्ही.ए. से ऊपर यदि आपूर्ति वोल्टेज 33 के व्ही. हो तो उन्हें लिंक स्विच के साथ सर्किट ब्रेकर लगाने होंगे ।
- (सी) उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा, प्रत्येक ट्रांसफार्मर अथवा प्रत्येक फीडर पर निम्नदाब की ओर, उचित स्वचालित सर्किट ब्रेकर स्थापित किये जायेंगे ।

अति उच्च दाब उपभोक्ता

- 6.20 अति उच्च दाब उपभोक्ता को उसके ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर सर्किटब्रेकर लगाना होगा। (भारतीय विद्युत अधिनियम की नियम-50 देखें)

उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता

- 6.21 उपभोक्ता की स्थापना के सभी ट्रांसफार्मर स्विच गेयर तथा अन्य विद्युत उपकरण तथा वे उपकरण भी, जो अनुज्ञप्तिधारी की लाईनों से सीधे जुड़े हुए हों, उचित डिजाईन के होंगे तथा उनका रख-रखाव अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता के कन्ट्रोल गेयर के फ्यूज तथा कन्ट्रोल गेयर की सेटिंग तथा उसके किसी भी सर्किट ब्रेकर की विदीर्ण क्षमता (रिचार्जिंग कैपेसिटी), अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन के अनुसार होगी।

- 6.22 खण्ड 6.19 के प्रावधानों के होते हुए भी यह आवश्यक है, कि उपभोक्ता प्रचलित कानून/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों अथवा सर्किट ब्रेकरों की उपयुक्तता के संबंध में विद्युत निरीक्षक का अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर ले ।
- 6.23 उपभोक्ता को पावर फैक्टर 90 प्रतिशत या उससे अधिक रखना होगा । निर्धारित पावर फैक्टर से फेरबदल होने की दशा में उपभोक्ताओं द्वारा, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिभार देय होगा अथवा वे छूट (इंसेटिव) प्राप्त करेंगे। ऐसी किसी स्थापना, जहां का औसत पावर फैक्टर यदि 70 प्रतिशत से कम हो, की विद्युत प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (15 दिवस की) उचित सूचना के उपरांत विच्छेदित की जा सकती है। तथापि इससे अनुज्ञप्तिधारी के प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार की वसूली के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिस अवधि में कनेक्शन विच्छेदित रहा हो ।

उपभोक्ता की स्थापना का निरीक्षण एवं परीक्षण

- 6.24 इसके पूर्व कि निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में कोई वायरिंग या उपकरण तथा उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में कोई ट्रांसफार्मर, स्विच गेयर या अन्य विद्युत उपकरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से संयोजित किया जाये, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण/परीक्षण आवश्यक होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदन बिना कनेक्शन नहीं दिया जायगा। इसके अतिरिक्त सभी उच्चदाब स्थापनाओं के लिये विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा तथा खदानों की विद्युत स्थापनाओं के लिये खदान निरीक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- 6.25 परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने के बाद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को स्थापना के निरीक्षण एवं परीक्षण का समय एवं तिथि सूचित करेगा। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त किया गया अनुज्ञप्तिधारक इलेक्ट्रीकल ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि, जो कि तकनीकी रूप से योग्य हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गई स्थापना से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निरीक्षण के समय उपस्थित रहे । अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा स्थापना के निरीक्षण/परीक्षण के प्रतिवेदन की प्रति उपभोक्ता को देगा एवं उपभोक्ता से इसकी पावती प्राप्त करेगा ।
- 6.26 यदि आवश्यक हो तो सभी उच्चदाब उपकरणों के संबंध में निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे ।
- 6.27 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर के तारों तथा फिटिंग को उसके किसी कार्य से नहीं जोड़ेगा जब तक कि वह सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि कनेक्शन करने के समय स्थापना या उपकरण से ऐसा कोई लीकेज न हो, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो। इन्सुलेशन प्रतिरोध का मान भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 48 के अनुसार होना चाहिये ।
- 6.28 यदि उपभोक्ता की स्थापना कनेक्शन के लिये सुरक्षित नहीं पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी निराकरण किये जाने वाले दोषों के संबंध में उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। दोषों के निराकरण होने की सूचना प्राप्त हो जाने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी, स्थापना का पुनः परीक्षण करेगा ।
- 6.29 अनुज्ञप्तिधारी, प्रथम परीक्षण के लिये कोई शुल्क नहीं लेगा । प्रारम्भिक परीक्षण में पाये गये दोषों के कारण आवश्यक हुए अन्य परीक्षणों का शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित की गई दरों के अनुसार लिया जायेगा। उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग के रख-रखाव अथवा परीक्षण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

विस्तार एवं फेरबदल

- 6.30 उपभोक्ता के परिसर में विद्युत स्थापना का कोई कार्य, जिसमें फेर-बदल, संकलन अथवा सुधार कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, फ्यूज, स्विचेज, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से कनेक्शन की क्षमता या चरित्र में बदलाव न करती हों, उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जावेगा। इस प्रकार के कार्य केवल अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार एवं ऐसे व्यक्ति, जिसके पास सक्षमता प्रमाण-पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जावेगा। उच्च दाब/अति उच्च दाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना होगा। इसी प्रकार खदानों के प्रकरणों में विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के लिये खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 6.31 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं फेर-बदल के कारण उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में स्वीकृत संयोजित भार या संविदा मांग से बढ़ोत्री की संभावना है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। संविदा मांग या संयोजित भार में बढ़ोत्री का नियमितीकरण न कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल उच्च दर पर बिलिंग की जायगी, बल्कि उचित सूचना देने के उपरांत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित भी की जा सकती है।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के लिये उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश पहुँच

- 6.32 अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर तथा अधिवासी (आक्यूपायर) को अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी देकर उपभोक्ता के परिसर में स्थापना के निरीक्षण, मीटर रीडिंग, आपूर्ति का विच्छेदन; अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण का परीक्षण, सुधार, बदलने, परिवर्तन हेतु निकालने; एवं अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति के रख-रखाव एवं फेर-बदल या ऐसे सभी आवश्यक कार्य, जो कि उपभोक्ता की आपूर्ति को सुचारु रूप से जारी रखने या रख-रखाव के लिये आवश्यक या प्रासंगिक हों, के लिये उपभोक्ता के परिसर, जिसमें विद्युत प्रदाय की गई हो, में प्रवेश करने का हकदार है। ऐसे सभी अधिकृत व्यक्तियों के पास, जो कि उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये फोटो परिचय पत्र होना चाहिये तथा इसे उपभोक्ता/अधिवासी को परिसर में प्रवेश करने के पूर्व दिखाना होगा। यदि उपभोक्ता को ऐसे प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता पर संदेह हो तो उसे तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क करना चाहिये।
- 6.33 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, उपभोक्ता को जानकारी देने के पश्चात् उसके परिसर में अनाधिकृत विद्युत उपयोग की जाँच, उपकरण में अनाधिकृत बढ़ोत्री एवं फेर-बदल, ऊर्जा की चोरी तथा दुरुपयोग, पावर का डायर्वशन, मीटर का बाईपास या छेड़छाड़ अथवा सामान्य निरीक्षण या परीक्षण के लिये तत्काल प्रवेश करने का हकदार होगा। ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग, उपकरण में अनाधिकृत बढ़ोत्री एवं फेर-बदल, ऊर्जा की चोरी तथा दुरुपयोग, पावर का डायर्वशन, मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास मिलने पर अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियमन के प्रावधानों के अनुसार, कार्यवाही कर सकता है।
- 6.34 किसी भी घर या घरेलू परिसर का निरीक्षण, परीक्षण या जाँच, यदि उस परिसर का अधिवासी वयस्क पुरुष उपस्थित न हो तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच नहीं की जायेगी।
- 6.35 यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को कण्डिका क्र. 6.32 एवम् 6.33 में वर्णित कारणों के लिये परिसर में प्रवेश करने के लिये उचित सुविधा नहीं देता है तो अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति विच्छेदित

करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को 24 घंटे की लिखित सूचना देगा। यदि उपभोक्ता तब भी प्रवेश नहीं देता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित करने का हकदार होगा।

- 6.36 यदि उपभोक्ता की स्थापना का इन्सूलेशन प्रतिरोध इतना कम पाया जाता है, जिससे ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग प्रभावित होता है, तो अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति 48 घंटे की सूचना देने के बाद भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 49 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधि अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना, दोषों के निराकरण होने तक उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है।

स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण (रेटिंग) –

- 6.37 घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का संयोजित भार {दिखिये कण्डिका – 2.1 (k)} परिशिष्ट – 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सामान्यतः दो वर्ष में एक बार भार का सर्वेक्षण किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर चुने हुए क्षेत्रों में भार का सत्यापन कर सकता है। तथापि, यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई विशेष घरेलू संयोजन अथवा घरेलू संयोजनों का समूह विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में संलग्न हैं तो प्रभारी अधिकारी, उपभोक्ता(ओं) के परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

- 6.38 अनुज्ञप्तिधारी, सभी उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष में एक बार “संयोजित भार बाबत स्व-घोषणा” के प्रपत्र प्रेषित करेगा। उपभोक्ता यदि उसके परिसर का वर्तमान वास्तविक संबद्ध भार अनुबंधित भार से भिन्न हो तो इस प्रपत्र में वर्तमान सम्बद्ध भार का विवरण दर्ज कर अनुज्ञप्तिधारी को भार परिवर्तन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये प्रस्तुत करेगा। घरेलू उपभोक्ता, परिशिष्ट – 3 में दिये गये प्रपत्र में अपने परिसर में भार की गणना कर बढ़े हुए भार की घोषणा वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं जिसे उन्हें भार परिवर्तन आवेदन के साथ अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में संपूर्ण विवरण के साथ जमा करना होगा।

तदुपरांत भार सत्यापन हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कराया जायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी आवेदन के दिनांक से 30 दिवसों के भीतर निरीक्षण नहीं करता एवम् यदि आवेदित भार स्वीकृत भार से अधिक हो तो उपभोक्ता द्वारा घोषित भार स्वीकार्य माना जावेगा एवम् ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को अतिरिक्त शुल्क/प्रभार, यदि कोई हो, जमा कराने हेतु मांग पत्र तत्काल जारी किया जावेगा।

- 6.39 उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों का संयोजित भार, एक साथ उपयोग किये जा सकने वाले, सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों के निर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता (रेटिंग) का योग होगा। इसे किलो वाट, के.वी.ए. या अश्वशक्ति में बतलाया जायेगा। संयोजित भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि निर्माता द्वारा दी गई रेटिंग उपलब्ध न हो या संदेहास्पद हो तो अनुज्ञप्तिधारी उस उपकरण के भार का निर्धारण करने के लिये उपर्युक्त जाँच उपकरण का उपयोग कर सकता है। यदि एयर कंडीशनर तथा रूम हीटर एक ही परिसर में पाये जाते हैं तो दोनों में से अधिक रेटिंग वाले उपकरण के भार की ही गणना की जावेगी। ऐसे उपकरणों, जो कि विक्रय/सुधार या वास्तव में अतिरिक्त रूप से किसी विद्यमान संयोजित उपकरण के खराब होने की दशा में उसके बदले में उपयोग करने के लिये भंडारित किये गये हैं, के विद्युत भार की गणना, संयोजित भार का निर्धारण करने के लिये नहीं की जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी सड़क बलियों का समय-समय पर सर्वेक्षण करायेगा तथा उपयोग किये जा रहे बल्ब के प्रकार तथा उनका भार दर्ज करेगा।

- 6.40 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवस्थापन, अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, रेटिंग/पुनः-रेटिंग के पात्र होंगे । यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निर्धारित की गई रेटिंग से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकरण का भार निर्धारित करने हेतु अनुमोदित किये गये इन्जीनियरिंग संस्थाओं में से किसी एक से अपने उपकरण की क्षमता (रेटिंग) का निर्धारण करा सकता है । संस्था में भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के समय, उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिये नियुक्त कर सकते हैं । संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षणों का विवरण संलग्न किया जाना होगा । संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों को स्वीकार्य होगी ।
- 6.41 यदि किसी कारण से किसी स्थापना की अधिकतम मांग, पावर फैक्टर या कोई दूसरी विद्युत मात्रा का निर्धारण संभव न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर इनकी माप रेटिंग/पुनः रेटिंग कर निर्धारित करेगा, जो कि उपभोक्ता पर बन्धनकारी होगी । पुनः रेटिंग के निष्कर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी, अधिकतम माँग, पावर फैक्टर, इत्यादि को मापने वाला मीटर लगाने को स्वतंत्र होगा ।
- 6.42 जब कोई उपभोक्ता अपनी स्थापना में परिवर्तन या फेर बदल के कारण स्थापना की क्षमता के पुनः निर्धारण (पुनः रेटिंग) के लिये आवेदन देता है तो कण्डिका – 7.3 से कण्डिका 7.14 में दी गई प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

उपभोक्ता की स्थापना में जनरेटर तथा अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली के साथ उसका समानान्तर संचालन

- 6.43 उपभोक्ता की स्थापना में लगे जनरेटर का अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर संचालन केवल अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति से स्वीकार्य होगा ।
- 6.44 यदि ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है तो उपभोक्ता अपने उत्पादन इकाई के संयंत्र, मशीन तथा उपकरण, जिसमें उसका परिवर्तन या विस्तार सम्मिलित हो, उसे पृथक रूप से चलायेगा तथा जनरेटर किसी भी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं जोड़ेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सूचित कर, परिसर में प्रवेश कर उपभोक्ता व्यवस्था का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकता है कि उपभोक्ता का जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से किसी भी समय जोड़ा तो नहीं जाता ।
- 6.45 जहाँ समानान्तर संचालन के लिये सहमति दी गई है, वहाँ उपभोक्ता अपनी स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के विक्षेभों (डिस्टर्बेंसेस) से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा। उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उसकी आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से गलत तरीके से संबद्ध न हो । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी समानान्तर संचालन अथवा उसके कारण हुए किसी प्रतिकूल परिणाम के कारण उपभोक्ता की प्लांट, मशीन व उपकरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिये बाध्य नहीं होगा। ग्रिड के साथ समानान्तर संचालन के लिये उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड कोड तथा अन्य संबंधित विनियमों में निहित प्रावधानों का पालन तथा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों का भुगतान करना होगा । जनरेटर का वास्तविक संचालन राज्य पारेषण युटिलिटी तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों के समन्वय से किया जायेगा ।
- 6.46 ऐसे प्रकरण में जब अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन के बिना ही उपभोक्ता के किसी जनरेटर, इन्वर्टर या अन्य किसी स्रोत से आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सम्बद्ध हो जाती है, जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को नुकसान होता है अथवा जनहानि होती है तो

उपभोक्ता उसके लिये जिम्मेदार होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के दूसरे उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की यथोचित क्षतिपूर्ति करेगा ।

हारमोनिक्स

6.47 यदि अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगाता है तथा उपभोक्ता को प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता की प्रणाली से हारमोनिक्स उत्पादित हो रहे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को उचित क्षमता के हारमोनिक फिल्टर युक्ति-युक्त अवधि में लगाने हेतु अनुरोध कर सकेगा । हारमोनिक्स इन्जेक्शन की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी : -

अति उच्च दाब - टी.एच.डी	3%
उच्च दाब	4%
निम्न दाब	6%

अध्याय - 7: संविदा माँग, अनुबन्ध, सुरक्षा निधि

संविदा माँग

उच्चतम मांग आधारित (टू-पार्ट) टैरिफ के अलावा निम्न दाब उपभोक्ता ।

7.1 ऐसे निम्नदाब उपभोक्ताओं की संविदा मांग, परिसर के कुल संयोजित भार के अनुरूप होगी, जो कि उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य अनुबंधानुसार होगी ।

उच्चतम मांग (एम.डी.) आधारित टू-पार्ट टैरिफ के निम्न दाब एवं सभी उच्च दाब एवं अति उच्च दाब उपभोक्ता

7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग, उपभोक्ता के स्थापना की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के बीच हुए अनुबंध के अनुसार होगी ।

संविदा मांग की वृद्धि हेतु प्रक्रिया

7.3 भार वृद्धि के लिये आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट - 1 व 2) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा ।

7.4 30 दिनों के अन्दर, अनुज्ञप्तिधारी, बढ़े हुए भार के लिये आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् उपभोक्ता को सूचित करेगा कि -

- (ए) क्या अतिरिक्त मांग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर दी जा सकती है अथवा इससे ज्यादा वोल्टेज स्तर पर;
- (बी) क्या प्रणाली में कोई परिवर्तन, विस्तार या फेर-बदल करना आवश्यक है और यदि है तो उसके लिये उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि की जानकारी;
- (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, अतिरिक्त विस्तार की लागत तथा सप्लाय अरेजिंग चार्जस, यदि कोई हो तो, जो जमा करना है; और

(डी) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो ।

- 7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि, यदि उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर किसी न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई हो, या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि का किशतों में भुगतान की सुविधा दी गई हो तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।
- 7.6 यदि बड़े हुए भार की आपूर्ति की जाना साध्य पाया जाता है तो उपभोक्ता :-
- (ए) जहाँ स्थापना में फेर-बदल निहित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा ।
- (बी) यदि आवश्यक हो तो उपभोक्ता की विद्युत स्थापना हेतु विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन पत्र और किसी अन्य लागू विनियमों के अधीन चाहे गये वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, यदि प्रणाली में परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता हो तो उसकी लागत, तथा सप्लाई अरेजिंग चार्जस की राशि, यदि लागू हो, का भुगतान करेगा ।
- (डी) पूरक अनुबंध का निष्पादन करेगा ।
- 7.7 नयी/वैकल्पिक मीटरिंग व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो तो बड़ा हुआ भार, आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद, अनुबन्ध में अंकित की गई तिथि से दिया जायेगा । यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा ।
- 7.8 रेल्वे ट्रेक्शन के प्रकरण में यदि उपभोक्ता द्वारा छः सप्ताह पूर्व संविदा मांग बदलने हेतु लिखित में सूचना दी गई हो तो उपभोक्ता को उसकी अनुबंधित संविदा मांग से अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता की सहमति के अनुसार की जा सकती है ।

संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रिया

- 7.9 सामान्यतः अनुबन्ध की प्रारम्भिक समयावधि, जो अनुबन्ध लागू होने से दो वर्ष है, में संविदा माँग/संयोजित भार घटाने के आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा । तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा माँग/संयोजित भार घटाने की विवशता के कारणों से अनुज्ञप्तिधारी को संतुष्ट करने में समर्थ रहे तो अनुबन्ध की अवधि में संविदा माँग/संयोजित भार के 50 प्रतिशत तक भार घटाने की स्वीकृति दी जा सकती है ।

घरेलु प्रकाश एवं पंखे के उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के भीतर भी, दोनों पक्ष किसी भी समय एक माह की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं ।

- 7.10 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद भार में कमी के आवेदन, दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में तथा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुज्ञप्तिधारी को जमा किये जायेंगे:-

(ए) जहाँ स्थापना में फेर-बदल निहित है, वहाँ विद्युत स्थापना में फेर-बदल, संशोधन तथा विस्थापन का विवरण सहित अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र ।

- (बी) संविदा मांग में प्रस्तावित कमी के किन्हीं अन्य कारणों की जानकारी ।
- (सी) उपभोक्ता द्वारा स्थापित किये गये उत्पादन संयंत्रों का विवरण, यदि कोई हो, जिसके साथ उत्पादन संयंत्र स्थापना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया सुरक्षा विलियरेन्स प्रमाण पत्र ।
- 7.11 भार में कमी के आवेदन की प्राप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी:—
- (ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन में दिये गये आधारों पर विचार करेगा, उनका सत्यापन करेगा तथा 60 दिनों की अवधि के अन्दर कारणयुक्त स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग आदेश) द्वारा आवेदन पर निर्णय करेगा। यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित विद्युत शिकायत निराकरण फोरम में अपील दायर कर सकता है। इसके बाद अधिनियम की धारा 46(6) के अंतर्गत आयोग द्वारा नियुक्त या नामांकित विद्युत लोकपाल को शिकायत की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु, अन्य विधि के अधीन उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार से वह वंचित नहीं होगा।
- (बी) यदि आवेदन पर 60 दिनों की अवधि के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आवेदक लिखित सूचना के माध्यम से लंबित प्रकरण पर अनुज्ञप्तिधारी का ध्यान आकर्षित कर सकता है । यदि तत्पश्चात् 30 दिनों की अवधि के अन्दर उसे कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं होता है, तो मान लिया जावेगा कि उसे संविदा मांग में आवेदन के अनुरूप कमी करने की अनुमति दे दी गई है ।
- (सी) संविदा मांग में कमी उस महीने के बाद के महीने के प्रथम दिन से प्रभावशील होगी, जिस महीने में निर्णय भेजा गया हो अथवा अनुमति का दिया जाना मान लिया गया हो।
- 7.12 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में किसी भी सीमा तक कमी करने हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उपरोक्त मांग में कमी खण्ड 3.4 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं की जावेगी। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से कम कर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार उसे अतिरिक्त सरचार्ज का भुगतान करना होगा ।
- 7.13 इस संहिता के लागू होने से पहले निष्पादित सभी विद्यमान अनुबन्धों में यदि संविदा मांग में कमी पर प्रतिबंध के लिये कोई प्रावधान है, तो वह इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार संशोधित माना जावेगा ।
- 7.14 जब संविदा मांग में कमी की सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुर्नगणना करेगा तथा कोई अधिक बची सुरक्षा निधि बराबर किश्तों में अगले पाँच बिलों में समायोजित की जायेगी ।

अनुबन्ध

- 7.15 आवेदक द्वारा, निर्धारित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नया कनेक्शन लेने के लिये तथा संविदा मांग परिवर्तन या अन्य किसी सहमत किये गये परिवर्तन के लिये मानक प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा । विशेष परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों को जोड़ा जा सकता है, यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम

2003, विद्युत प्रदाय संहिता एवं प्रभावशील अन्य नियमों तथा विनियमों के विपरीत नहीं हों। ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का हिस्सा होंगे। निष्पादित किये गये अनुबन्ध की एक प्रति उपभोक्ता को दी जायेगी। जमा किये नकशे, जिस पर उपभोक्ता एवम् अनुज्ञप्तिधारी की सहमति एवं हस्ताक्षर हों, अनुबन्ध का हिस्सा होंगे।

- 7.16 इस संहिता में निहित प्रावधानों के अनुरूप, अनुज्ञप्तिधारी, अनुबंध प्रपत्र के विद्यमान स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा।
- 7.17 अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य विद्यमान अनुबन्ध को यदि संशोधित/परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो इसे एक पूरक अनुबन्ध निष्पादित कर किया जा सकता है।
- 7.18 नाम परिवर्तन, परिसर का स्थानांतरण, या संयोजित भार में परिवर्तन के उद्देश्य से किये जाने वाले संशोधन तब ही किये जायेंगे, जब उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों, ऐसे संशोधनों के लिये सहमत हों तथा इन संशोधनों को अनुबन्ध में समाहित करने के लिये पूरक अनुबन्ध का निष्पादन किया जाय।

अनुबन्ध की समाप्ति

- 7.19 यदि किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के अनुसार जारी किये गये किसी निर्देश का पालन न करने के कारण 60 दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहती है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबन्ध की समाप्ति के लिये "कारण बताओ नोटिस" जारी करेगा जिसका उत्तर देने की समय सीमा 7 दिवस होगी। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो 7 दिवस की अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत आपूर्ति के लिये उपभोक्ता के साथ हुआ अनुबन्ध समाप्त माना जायेगा, बशर्ते अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि समाप्त हो चुकी हो। अस्थायी विच्छेदन की अवधि में उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
- 7.20 घरेलू या एकल फेज़ गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता एक माह का नोटिस दे कर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता अनुबन्ध की दो वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस दे कर, अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं। तथापि घरेलू तथा एकल फेज़ गैर-घरेलू श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता किसी कारणवश यदि अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि के समाप्त होने के पहले अनुबन्ध समाप्त करना चाहते हैं, तो वे 2 साल की अवधि में से बची हुई अवधि के लिये प्रचलित टैरिफ के अनुसार प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होंगे। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता का अन्तिम बिल बनाने में सुविधा हेतु, आपसी सहमति से निश्चित की गई तिथि पर, विशेष मीटर रीडिंग लेने का प्रबन्ध करेगा। अनुबन्ध माह के अन्तिम दिन समाप्त होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अन्तिम बिल बनायेगा।
- 7.21 अनुबन्ध की समाप्ति के बाद अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर से, विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा सर्विस लाईन हटाने के लिये अधिकृत होगा। स्थाई विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता संयोजन फिर से लेना चाहता है, तो उसके इस आवेदन को नवीन कनेक्शन के आवेदन की तरह माना जायेगा तथा तब ही स्वीकार किया जायेगा जब सभी बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

विविध

- 7.22 कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसको प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा ।
- 7.23 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम की जा सकती है, रूक-रूक कर की जा सकती है या बंद की जा सकती है । अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के नियमित रख-रखाव हेतु भी, उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने के पश्चात्, उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की पूर्ति कम, रोक-रोक कर सकता है या उसे पूरी तरह से बन्द कर सकता है ।
- 7.24 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को, उचित सूचना के उपरान्त, विनियमित (योजनाबद्ध विद्युत कटौती) कर सकता है ।
- 7.25 उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग लागू अधिनियम तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किये जावेंगे ।
- 7.26 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा केवल स्वयं के उपयोग के लिये अनुबंध में निहित प्रावधानों तथा प्रयोजन के अनुसार ही किया जावेगा। कोई भी उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई स्वीकृति तथा अनुबन्ध में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिये ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा अथवा लाईन का विस्तार परिसर के बाहर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विस्तार/विचलन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति न ली गई हो ।
- 7.27 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो आपूर्ति का पुनर्संयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन, जैसा आवश्यक हो, के उपरांत तथा पूर्ण:संयोजन शुल्क के भुगतान के बाद किया जायेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिये बाध्य होगा।

सुरक्षा निधि

(देखें अधिनियम की धारा 47 (1) एवं (4) तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005)

प्रारम्भिक सुरक्षा निधि

- 7.28 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई हुई अवधि की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं से ले सकता है :-

सं.क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	अवधि (दिवसों में)	रिमार्क
1.	कृषि	90	अनुमानित/वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
2.	स्टोन क्रेशर, हाट मिक्स प्लाण्ट	90	अनुमानित/वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
3.	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के कानूनी अधिवासी होने का प्रमाण देने में असमर्थ हों ।	90	अनुमानित/वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर
4.	अन्य उपभोक्ता	45	अनुमानित/वास्तविक वार्षिक औसत के आधार पर

7.29 उपभोक्ता के पास अग्रिम भुगतान का विकल्प होगा और ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि की राशि अनुपातिक रूप से तय की जायेगी । अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षा राशि के निर्धारण की प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग के अनुमोदन से, निर्धारित की जायेगी । निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में नगद या ड्राफ्ट तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में केवल ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में ही सुरक्षा निधि स्वीकार की जायेगी । चैक केवल इस शर्त के अधीन स्वीकार किये जा सकेंगे कि चैक राशि का भुगतान प्राप्त होने पर विद्युत प्रदाय चालू होगी । अनुबन्ध की समाप्ति के उपरांत तथा उपभोक्ता द्वारा देय यदि कोई राशि हो तो उसके समायोजन के उपरान्त शेष राशि, उपभोक्ता को वापस की जायेगी ।

अतिरिक्त सुरक्षा निधि

7.30 उपभोक्ता द्वारा जमा सुरक्षा निधि की राशि की, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिये वार्षिक रूप से पिछले 12 महीने की खपत के आधार पर तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये पिछले 6 महीने की खपत के आधार पर अर्ध-वार्षिक रूप से, समीक्षा की जायेगी । यदि प्रचलित टैरिफ के अनुसार उपरोक्त संबंधित अवधि के दौरान की गई औसत मासिक खपत के मासिक बिल की डेढ़ गुना राशि, उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षा निधि की राशि से 20 प्रतिशत से अधिक हो तो तदनुसार उपभोक्ता को राशि की वापसी की जायेगी या 20 प्रतिशत से कम हो जाती है तो उसे अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी ।

7.31 एक वित्तीय वर्ष में यदि उपभोक्ता तीन बार से अधिक बिल भुगतान न करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी उसकी सुरक्षा निधि को 45 दिन की खपत के स्तर की जगह 90 दिन की खपत के आधार पर मांग कर सकता है ।

7.32 ऐसे उपभोक्ताओं के प्रकरण में जिन्हें अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई है, अतिरिक्त भार के लिये अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस तरह से की जायेगी, जैसे कि वह एक नये विद्युत कनेक्शन के लिये की जाती है ।

7.33 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान करने के लिये तीन किशतों की सुविधा दे सकता है ।

7.34 अतिरिक्त सुरक्षा निधि को जमा करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी कम से कम एक महीने की सूचना देगा । यदि सूचना के अनुसार उपभोक्ता अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भुगतान नहीं करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अवधि के लिये, जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, उपभोक्ता की विद्युत

आपूर्ति बन्द करने का अधिकारी होगा । सुरक्षा निधि के भुगतान में विलंब की दशा में, उपभोक्ता, अधिभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा ।

- 7.35 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से ली गई ऐसी सुरक्षा निधियों पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार बैंक दर पर ब्याज देगा ।
- 7.36 अनुबन्ध की समाप्ति के बाद तथा सभी देय बकाया राशि के समायोजन तथा औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद से 60 दिन की अवधि में सुरक्षा निधि उपभोक्ता को वापस की जावेगी । 60 दिनों की अवधि से ज्यादा देरी पर, माह या उसके भाग के लिये, 1 % की दर से उपभोक्ता को ब्याज देय होगा ।

अध्याय-8: मीटर

मीटरों की आवश्यकता

- 8.1 इस संहिता के जारी होने की दिनांक के बाद कोई भी नया कनेक्शन समुचित मापदण्ड के मीटर एवं कट आउट या एमसीबी (मिनीएचर सर्किट ब्रेकर) अथवा सी.बी. (सर्किट ब्रेकर), के बिना नहीं दिया जाएगा ।
- 8.2 जब भी अनुज्ञप्तिधारी बताये, सभी उपभोक्ताओं को उपयुक्त मीटरिंग उपकरण या लोड लिमिटर, छेड़-छाड़ रोधी बॉक्स या अन्य उपकरण स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवम् उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थान प्रदान करना होगा ।
- 8.3 उच्चदाब विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में यदि उच्चदाब मीटरिंग प्रणाली तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती है तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर निम्नदाब (एल.टी.) मीटरिंग लगाई जा सकती है । ऐसे प्रकरणों में बिलिंग हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, ट्रांसफार्मेशन क्षति हेतु, एल.टी. मीटरिंग में दर्ज खपत में उसका 3 प्रतिशत जोड़कर की जावेगी । यह व्यवस्था तीन माहों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इन तीन माहों के भीतर ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर मीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रबंध करेगा ।
- 8.4 यदि उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता को केवल उसके उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती तो मीटरिंग की व्यवस्था या तो उपभोक्ता के परिसर में या, यदि आपसी सहमति हो तो, अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर की जा सकती है ।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु अधिकृत है । तकनीक में सुधार के कारण यदि बेहतर मीटर उपलब्ध होते हैं तो उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करते हुए इन्हें पुनःस्थापित किया जावे । अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में रिमोट मीटरिंग प्रणाली, इस प्रणाली की तकनीकी आवश्यकताओं अनुसार, स्थापित कर सकता है एवम् ऐसी दशा में उपभोक्ता को अपने दूरभाष के माध्यम से इस प्रणाली से वाचन करने हेतु आवश्यक पहुंच की सुविधा प्रदान करनी होगी । अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मीटर, जिसमें उच्चतम मांग एवं टाईम आफ डे रिकार्ड करने संबंधी विशेषताएँ या अन्य अतिरिक्त विशेषताएँ उपलब्ध हों, लगा सकता है । अनुज्ञप्तिधारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक उपभोक्ता के कनेक्शन अथवा

उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिये चैक मीटर स्थापित कर सके । चैक मीटर व बिलिंग मीटर में दर्ज खपत में अंतर यदि स्वीकृत सीमा से ज्यादा हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को लिखित सूचना देने के उपरान्त, बिलिंग मीटर को पोल या पिलर बाक्स में स्थापित कर सकता है ।

मीटर तथा कट-आऊट / एमसीबी / सीबी की आपूर्ति और स्थापना

8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नया कनेक्शन देते समय अथवा आवश्यकता अनुसार किसी अन्य समय, मीटर एवं मीटरिंग उपकरण, कट- आऊट / एमसीबी / सीबी / लोड लिमिटर उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्यस्थिति में रखेगा और उपभोक्ता उसका मासिक किराया, आयोग द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार, अदा करेगा । अनुज्ञप्तिधारी यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण को सही कार्य स्थिति में नहीं रख पाता है तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता से नहीं लिया जावेगा ।

यदि कोई उपभोक्ता चाहे तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुरूप अपना मीटर / मीटरिंग उपकरण खरीद कर लगा सकता है । ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को मीटर को सही चालू हालत में रखना होगा । अनुमोदित टैस्टिंग चार्ज का भुगतान करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर / मीटरिंग उपकरण की अनुसूचित जाँच की जायेगी । ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मासिक मीटर किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

8.7 मीटर सामान्यतः परिसर के बाहर इस तरह से स्थापित किया जावेगा ताकि यह हवा, पानी, धूप इत्यादि से सुरक्षित रहे और मीटर रीडर द्वारा इसकी रीडिंग बाहर से ही की जा सके तथा रीडिंग के लिये परिसर को खोलने की आवश्यकता न हो । विशेष अवस्था में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा दी जावेगी। उपभोक्ता, मीटर की स्थापना के निर्धारित स्थान से अपनी आंतरिक वायरिंग करेगा । मीटर बाक्स सामान्यतः ऐसी उंचाई पर स्थापित किया जावेगा ताकि मीटर रीडिंग कार्ड / डिस्प्ले विण्डो को मीटर रीडर द्वारा खड़े रहकर आसानी से पढ़ा जा सके । निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर तथा कट-आऊट / एमसीबी और उच्चदाब / अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मीटर, सर्किट ब्रेकर तथा केबल सहित अन्य सहयोगी उपकरण की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के संरक्षित परिसर में मुख्य द्वार के समीप, आपूर्ति बिन्दु (बिन्दुओं) पर की जावेगी ।

8.8 सभी नये कनेक्शनों के मीटरों की स्थापना टेम्पर प्रूफ बाक्स में की जावे । अनुज्ञप्तिधारी, चरण-बद्ध योजना बनाकर ऐसे सभी मीटर, जो वर्तमान में टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित नहीं हैं, को टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित करेगा ।

8.9 कच्चे मकानों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर दीवार पर ठीक तरीके से स्थापित किया जावे और मीटर तक मीटर रीडर की पहुंच सुगम हो । यदि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता की दीवार मीटर स्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं करा पाता तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को पोल पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये पिलर बक्से में लगा सकता है । अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थापना का भू-संयोजन (अर्थिंग) सही हो ।

8.10 ऐसे प्रकरणों में जहां मीटर परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो मीटर तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्य उपकरण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु डाली गयी विद्युत लाईन के परिसर में प्रवेश बिन्दु के निकट स्थापित किये जावेंगे ताकि मीटरिंग युनिट परिसर के बाहर

से दृष्टव्य हो एवं मीटर या मीटरिंग क्यूबिकल के लिये स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रवेश उपलब्ध हो सके । जहां आवश्यक हो वहां पर उपभोक्ता अपने व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित किये अनुसार उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) उच्च दाब स्विच गेयर तथा उपकरणों को स्थापित करने के लिये मौसम रोधी एवं तालायुक्त बाक्स/कमरा/अहाता उपलब्ध करायेगा एवं अपने खर्च पर इसका रख-रखाव भी करेगा ।

- 8.11 जब कभी भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाएगा (बदलने या फिर नए कनेक्शन के लिए) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठीक तरह से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटर या मीटरिंग प्रणाली की सील, नाम पट्टिकाओं और उन पर खुदे हुए विभेदकारी अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों ।
- 8.12 (i) अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित मीटर, कट-आउट, एम.सी.बी./सी.बी. आदि, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर, कट-आउट, एम.सी.बी./सी.बी. आदि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा ।
- (ii) उस मामले में, जहाँ उपभोक्ता के परिसर से मीटर गुम हो जाये अथवा चोरी हो जाये, तो वह उपभोक्ता इस विषय की रिपोर्ट पुलिस थाने में करवायेगा और विद्युत की आपूर्ति की पुनर्स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के खर्च पर नये मीटर की स्थापना होने पर की जायेगी ।

मीटरों का परीक्षण

- 8.13 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मीटर की स्थापना के पूर्व मीटर की परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है ।
- 8.14 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समयावधि के अनुसार मीटरों का निरीक्षण/परीक्षण करेगा:
- | | | |
|------|-------------------------|----------------------|
| (ए) | एकल फेज़ मीटर | पांच वर्ष में एक बार |
| (बी) | एल.टी. 3 फेज़ मीटर | तीन वर्ष में एक बार |
| (सी) | एमडीआई सहित एच.टी. मीटर | वर्ष में एक बार |

सीटी एवं पीटी का परीक्षण भी मीटरों के साथ ही किया जावेगा । परीक्षण परिणामों के उल्लेखों को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के नियम 57 के अनुसार अनुरक्षित रखा जायेगा ।

यदि अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान मीटर को निकालना चाहता है तो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को प्राधिकृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मीटर निकालने के पूर्व नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती का कागज देना होगा । उपभोक्ता, ऐसे मीटर निकालने पर प्रतिवाद नहीं करेगा ।

दोष-युक्त मीटर

- 8.15 मीटर की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर एवं संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में सहायता उपलब्ध करायेगा । परीक्षण के समय उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी ।

- 8.16 कोई उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मीटर का परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण फीस के साथ आवेदन दे सकता है। आवेदन प्राप्त होने से 30 दिनों के अंदर, अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के परीक्षण की व्यवस्था करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर की प्राथमिक जांच उपभोक्ता के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण से की जा सकती है।
- 8.17 मीटर के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से या उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित रहने के लिए सूचना, परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक के कम से कम 7 दिन पहले, दी जाएगी। परीक्षण परिणाम पत्रक पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि, परीक्षण के समय यदि उपस्थित हो तो उसके हस्ताक्षर कराये जावें।
- 8.18 यदि उपभोक्ता मीटर के परीक्षण परिणामों पर आपत्ति दर्ज कराता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परीक्षण परिणामों के सूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर विद्युत निरीक्षक को अभ्यावेदन दे सकेगा जो भारतीय विद्युत नियम, 1956 के परिशिष्ट-VI, खण्ड 18 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय देगा।

मीटर (एमडीआई सहित) जो वाचन दर्ज ना कर रहा हो

- 8.19 उपभोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही मीटर के रूकने/वाचन दर्ज न करने का पता लगे, वह अनुज्ञप्तिधारी को लिखित सूचना दे, जिसकी पावती अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जावेगी।
- 8.20 समय-समय पर किये गये या अन्य निरीक्षणों के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई मीटर यदि चलता हुआ नहीं पाया जाता है या उपभोक्ता इस संबंध में शिकायत करता है तो अनुज्ञप्तिधारी, मीटर का परीक्षण 7 दिन के भीतर करने की व्यवस्था करेगा। यदि निम्नदाब उपभोक्ता का मीटर खराब पाया जाता है तो इसे शहरी क्षेत्रों में 15 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन के भीतर सुधारना/बदलना होगा। उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में 15 दिवस के भीतर मीटर को सुधारना या बदलना होगा।
- 8.21 यदि मीटर बंद हो जाय और जाँच हेतु लगाया गया मीटर, जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने लगाया हो, कार्य कर रहा हो तो उपभोक्ता जाँच हेतु लगाये गये मीटर के अनुसार विद्युत ऊर्जा के प्रभारों का भुगतान करेगा।
- 8.22 मीटर जल जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी, मीटर की कीमत वसूल करने का अधिकारी होगा।

अध्याय – 9: बिलिंग

मीटर रीडिंग, बिलों का बनाना एवं बिलों का वितरण

- 9.1 विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी के लिये मीटर वाचन की समयावधि निम्नानुसार है । फिर भी, यदि अनुज्ञप्तिधारी इसे आवश्यक एवं उपयोगी समझे तो इस समयावधि को कम करके सुधार ला सकता है ।

उपभोक्ता श्रेणी	मीटर वाचन
घरेलू – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
घरेलू – शहरी (केवल रायपुर, बिलासपूर, दुर्ग एवं भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में)	प्रत्येक माह
अन्य शहरी घरेलू	दो माह में एक बार
गैर-घरेलू – 10 कि.वा. से कम – ग्रामीण	दो माह में एक बार
गैर-घरेलू – अन्य (शहरी एवं ग्रामीण)	प्रति माह
निम्न दाब औद्योगिक	प्रति माह
कृषि – ग्रामीण	तीन माह में एक बार
कृषि – शहरी	दो माह में एक बार
स्ट्रीट लाईट, जलकार्य, एक्स-रे प्लान्ट, विद्युत शवदाह गृह.	प्रतिमाह
उच्च दाब	प्रति माह (जहाँ तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक माह की एक ही दिनांक को रीडिंग ली जाय)

घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर का वाचन केवल दिन के समय किया जावेगा ।

- 9.2 मीटर वाचन के दौरान मीटर रीडर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र अपने साथ रखेंगे ।
- 9.3 ऐसे बड़े उपभोक्ता, जिनकी खपत ज्यादा है, की मीटर रीडिंग एवं भुगतान की स्थिति को इण्टरनेट पर दर्शाने की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी करेगा ।
- 9.4 उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों को रिकार्ड में रख सकते हैं, क्योंकि इन बिलों में पूर्व में की गई मीटर रीडिंग का विवरण दर्शाया जाता है । जहां कहीं भी विद्युत बिलों में इस प्रकार का विवरण दर्शाया न गया हो तो उपभोक्ता इसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में दे सकता है ।
- 9.5 अनुज्ञप्तिधारी, हाथ में रखे जाने वाले उपकरणों, मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट (एम.आर.आई) अथवा वायरलेस उपकरण का उपयोग, मीटर वाचन और उसी समय बिल बनाने हेतु कर सकेगा । यदि रिमोट मीटर रीडिंग व्यवस्था या एम.आर.आई. डाउन लोड प्रक्रिया का उपयोग कर बिल बनाये जाते हैं तथा यदि उपभोक्ता इस प्रकार की गई रीडिंग का रिकार्ड चाहता है तो वह कर्मचारी, जो कि मीटर रीडिंग ले रहा है, इसे उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा ।

- 9.6 स्पाट बिलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधि उपभोक्ता की अनुपस्थिति अथवा परिसर के बन्द होने की दशा में रीडिंग नहीं ले पाता तो वह परिसर में इस आशय का सूचना-पत्र देगा कि उपभोक्ता अपने मीटर की रीडिंग दूरभाष पर दे सकता है। तत्पश्चात् उपभोक्ता किसी भी सुविधाजनक तिथि पर अपना बिल प्राप्त कर सकता है। तथापि, दूरभाष पर मीटर रीडिंग प्राप्त कर बिल देने की प्रक्रिया एक बिलिंग चक्र से ज्यादा अवधि के लिये नहीं होगी ।
- 9.7 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक असाधारण उपभोक्ता क्रमांक आवंटित करे तथा इसको संबंधित उपभोक्ता को सूचित करे। इस असाधारण उपभोक्ता क्रमांक में पोल क्रमांक, ट्रांसफार्मर क्रमांक, 11 किलो वोल्ट फीडर (संभरक) क्रमांक, वितरण केन्द्र क्रमांक तथा संभाग क्रमांक निहित हो सकते हैं ।
- 9.8 अनुज्ञप्तिधारी यदि चाहे तो विद्युत के प्रभारों की अग्रिम भुगतान योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिये लागू कर सकता है जिनके विद्युत कनेक्शन मीटररीकृत नहीं हैं एवं इस अग्रिम भुगतान योजना का विवरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से अनुमोदित कराना होगा तथा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के बाद लागू करना होगा ।
- 9.9 आयोग के प्रचलित विद्युत दर आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के बिल बनाए जायेंगे ।
- 9.10 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन महीने के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो ऐसी दशा में मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार और/या अन्य इसी प्रकार के नियत प्रभारों की, महीने के जितने दिनों में विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, अनुपातिक आधार पर बिलिंग की जावेगी । दर्ज की गई खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जावेगा । इस कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में महीने की अवधि 30 दिवसों की होगी ।
- 9.11 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को निम्नलिखित जानकारी की सूचना देगा :-
- (ए) तिथि जिस पर उपभोक्ता को प्रत्येक माह बिल जारी होगा;
- (बी) तिथि जिस पर उपभोक्ता को प्रत्येक माह बिल दिया जायेगा; और
- (सी) उसके बिल के भुगतान की नियत तिथि।
- उपरोक्त वर्णित तिथियां एक उपभोक्ता के लिये सामान्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बिलिंग चक्रों के लिये नियत रहेंगी । अनुज्ञप्तिधारी, बिल पर, बिल वितरक का नाम, रबर मोहर लगाकर दर्शायेगा तथा बिल वितरक उपभोक्ता को बिल प्रदाय करते समय बिल पर बिल वितरण की दिनांक दर्ज करेगा ।
- 9.12 अतिरिक्त सुरक्षा निधि की मांग को छोड़कर, आडिट एवं अन्य बकाया राशि की मांग के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक बिल जारी किये जावेंगे । ऐसे बिलों के साथ बिलिंग के आधार का विवरण तथा बिल की अवधि इत्यादि लिखित में दिया जावेगा ।
- 9.13 एम.आर.आई. डाउन लोड सहूलियत वाले सभी मीटरों का प्रतिमाह एम.आर.आई प्रिन्ट लेने का अनुज्ञप्तिधारी प्रयास करेगा ।

- 9.14 यदि किसी कारणवश वाचन के लिये मीटर तक नहीं पहुंचा जा सकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी, वाचन के लिये मीटर उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ता को लिखित में नोटिस, जिसमें समय एवं दिनांक का उल्लेख होगा, भेजेगा । उपरोक्तानुसार नोटिस दिये जाने के बाद यदि वाचन के लिये उपभोक्ता मीटर उपलब्ध नहीं कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी अधिभार सहित प्रावधिक बिल भेजने को स्वतंत्र होगा । अधिभार की राशि विविध प्रभारों की अनुसूची (शिड्यूल ऑफ़ मिसलेनियस चार्जस) के अनुसार होगी । पूर्व वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर प्रावधिक बिल बनाया जायेगा ।
- 9.15 इस प्रकार बिल की गई राशि का समायोजन बाद के वास्तविक मीटर वाचन के आधार पर बनाये जाने वाले बिल में किया जायेगा । ऐसी प्रावधिक बिलिंग एक बार में दो से अधिक मीटर रीडिंग चक्र के लिये नहीं जारी रहेगी । द्वितीय मीटर वाचन चक्र के समय भी यदि मीटर, वाचन हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो उपभोक्ता को नियत समय एवं दिनांक पर, मीटर वाचन हेतु परिसर खुला रखने हेतु नोटिस दिया जायेगा । नोटिस में नियत किये गये समय पर यदि मीटर, वाचन हेतु उपलब्ध नहीं होता है तो अधिनियम की धारा – 163 (3) के तहत 24 घण्टों की सूचना देकर, विद्युत प्रदाय विच्छेदित किया जा सकता है ।
- 9.16 प्रत्येक बंद/खराब मीटर का ब्यौरा अभिलिखित करना मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिये वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी और उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिये वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को तत्परता से रिपोर्ट दी जाय । प्रभारी अधिकारी, बंद/खराब मीटर को बदलने अथवा सुधारने हेतु तुरंत कार्यवाही करने हेतु जिम्मेदार होगा । वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मीटर वाचन पुस्तिका में इन्द्राज करने के अतिरिक्त सभी बंद मीटरों और उनको बदलने हेतु की गई कार्यवाही संबंधी मासिक रिपोर्ट उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी एवं संभागीय कार्यालय को आवश्यक रूप से दी जायेगी ।
- 9.17 जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जायेगा । यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है । उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यदि मीटर कार्यरत नहीं रहा हो तथा चेक मीटर नहीं लगा हो या खराब हो तो ऐसी दशा में बिलिंग उपरोक्त दर्शाये आधार पर की जावेगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी के मत से उपभोक्ता के परिसर की स्थितियां जिस महीने की औसत बिलिंग की जानी हो उस महीने ऐसी रही हो जिससे उपरोक्त आधार पर की गई औसत बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के पक्ष में सही नहीं हो तो ऐसी दशा में इस अवधि की औसत बिलिंग संबंधित वृत्त के प्रभारी द्वारा निर्धारित की जावेगी । यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट नहीं हो तो वह स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी को अपील कर सकता है ।
- 9.18 निम्न दाब उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण मीटर, त्रुटि ज्ञात होने की दिनांक से, 30 दिवस में प्रति-स्थापित किये जायेंगे । उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में त्रुटि ज्ञात होने की दिनांक से पंद्रह दिवस के भीतर दोषपूर्ण मीटर बदले जायेंगे ।
- 9.19 मीटर वाचक, ऐसे संयोजनों की सूची, जहाँ मीटर रीडिंग अभिलिखित नहीं की जा सकी हो या मीटर में को खपत दर्ज नहीं हुई हो, वितरण केन्द्र के प्रभारी को प्रस्तुत करेगा । प्रभारी यंत्री ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करेगा, जहाँ मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी या दोषपूर्ण मीटर (कण्डिका – 8.20 देखें) तीस दिवस के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किए जा सके और यह प्रतिवेदन सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री को प्रस्तुत करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन संबंधी पद्धति, प्रक्रिया और जवाबदेही के विस्तृत दस्तावेज़ बनायेगा और इन्हें कार्यालयों में रखेगा ।

- 9.20 स्थानीय वृत्त के प्रभारी द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी, नमूने के बतौर, मीटर रीडिंग की जाँच का कार्य करेंगे । अनुज्ञप्तिधारी का यह प्रयास होना चाहिये कि वर्ष में न्यूनतम 10 प्रतिशत निम्नदाब मीटरों की जाँच अधिकारियों के समूह द्वारा कराई जाए, जिसमें कनिष्ठ यंत्री से निम्न श्रेणी के अधिकारी न हों ।
- 9.21 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं को बिल हाथ से अथवा डाक से भेज सकता है (बिल वितरण के लिये कण्डिका – 9.11 देखें) । हाथ से प्रेषित किये जाने वाले बिलों की पावती के प्रमाण संबन्धी अभिलेख अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यालय में रखे जावेंगे । उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर पंजीकृत डाक से बिल भेजे जावेंगे और इस प्रकार के बिल दिये जाने पर होने वाला खर्च उपभोक्ता से वसूली-योग्य होगा ।
- 9.22 अनुज्ञप्तिधारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिलों का वितरण, बिल की नगद जमा करने की नियत तिथि से, कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व हो ।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के परिवर्तन/रिक्त करने की दशा में विशेष मीटर रीडिंग

- 9.23 कनेक्शन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह परिसर के परिवर्तन अथवा रिक्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को संपर्क कर, विशेष मीटर रीडिंग करवाये ।
- 9.24 कनेक्शन का स्वामी/उपभोगकर्ता, परिसर के रिक्त होने या उपभोगकर्ता के परिवर्तित होने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व लिखित में विशेष मीटर वाचन हेतु आवेदन दे सकता है ।
- 9.25 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मीटर रीडिंग करवाने की व्यवस्था करेगा एवं बिलिंग की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर, उपभोक्ता को अन्तिम बिल प्रदाय करेगा ।
- 9.26 अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त सेवा के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के अनुसार, युक्ति-युक्त शुल्क ले सकता है ।

विद्युत बिल की विषय-वस्तु

- 9.27 मीटरयुक्त कनेक्शन के बिल में निम्नलिखित विवरण होंगे :-
- (ए) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
 - (बी) बिल क्रमांक
 - (सी) बिल अवधि
 - (डी) उपभोक्ता का नाम और पता
 - (ई) पोल क्रमांक, जिससे कनेक्शन दिया गया है
 - (एफ) वितरण केन्द्र का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक
 - (जी) बिल जारी करने की तारीख
 - (एच) टैरिफ श्रेणी
 - (आई) विद्युत दर, विद्युत शुल्क एवं उपकर की लागू दरें

- (जे) अनुबन्ध/संबद्ध भार/माँग
- (के) एक फेज अथवा तीन फेज कनेक्शन
- (एल) मीटर की पहचान का विवरण
- (एम) वाचन दिनांक – पूर्व तथा वर्तमान
- (एन) मीटर वाचन – पूर्व तथा वर्तमान
- (ओ) आंकलित खपत
- (पी) राशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा है
- (क्यू) बिल आधार
- (आर) मीटर किराया
- (एस) चालू माह के प्रभार – ऊर्जा प्रभार, नियत/माँग प्रभार, न्यूनतम प्रभार, वी.सी.ए. चार्ज, विद्युत शुल्क, उपकर, मीटर किराया, वेल्लिंग/केपेसिटर अधिभार, सुरक्षा निधि किश्त, रियायत राशि, अन्य यदि कोई हो ।
- (टी) बकाया विद्युत प्रभार, विलम्बित भुगतान पर अधिभार का बकाया
- (यू) बिल वितरण प्रभार, यदि लागू हो
- (व्ही) कुल प्रभार
- (डब्ल्यू) विलम्ब भुगतान अधिभार
- (एक्स) भुगतान की अंतिम तिथि ... चेक द्वारा और नगद भुगतान हेतु
- (वाय) प्राधिकारी जिसके पक्ष में चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने हैं (बिल के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किए जाएं)
- (जेड) सुरक्षा निधि, जो जमा है एवं जो लेना है।

9.28 निम्नलिखित जानकारी भी बिल के साथ नत्थी कर अथवा बिल पर छपवाकर अथवा मुद्रांकित की जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगी :-

- (ए) संग्रहण केन्द्रों के नाम/पते
- (बी) बिलों के संग्रहण के लिए कार्यालयीन समय
- (सी) प्राधिकारी का पद तथा पता, जिसको बिल, मीटर, मीटर वाचन, इत्यादि से संबंधित शिकायतें की जा सकती हैं
- (डी) कोई अन्य संदेश जो कि अनुज्ञप्तिधारी देना चाहे, जैसे – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के बाद रखे जाने वाले बिल के भाग पर, उपभोक्ता से उसका फोन नम्बर (यदि हो तो) दर्शाने का अनुरोध करना । यह जानकारी उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संसूचना के लिए उपयोग की जा सकती है ।

9.29 बिल में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी उचित समझे ।

9.30 किसी भी उपभोक्ता को दूरभाष पर मार्गदर्शन तथा जानकारी देने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी प्रबंध करेगा और इस हेतु काल सेण्टर अथवा आयोग द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप अन्य केन्द्रों को स्थापित करेगा । प्रथम चरण में सभी शहरी क्षेत्रों को और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रकार की सहूलियत प्रदान की जाय । उपभोक्ता द्वारा अपना संयोजन क्रमांक तथा पता बताये जाने पर उसे भुगतान, बकाया राशि, अधिकृत भार, अनुबंधित माँग

इत्यादि का ब्यौरा दिया जाय । आयोग द्वारा निर्देशित यथोचित समयावधि में, अनुज्ञप्तिधारी, बिल का ब्यौरा इंटरनेट पर दर्शाने की विधि बनायेगा तथा उसको कार्यान्वित करेगा और प्रारंभ में इसे संभागीय मुख्यालयों में और बाद में सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जायगा । इस प्रकार की जानकारी को देखने के लिये पासवर्ड प्रणाली से नियंत्रण रखा जायेगा ।

अध्याय – 10: भुगतान एवं विच्छेदन

भुगतान :

- 10.1 उपभोक्ताओं से अपेक्षा है कि वे उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के प्रभारों का प्रत्येक माह में भुगतान करें ।
- 10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों के पते/स्थान तथा उनके कार्यकारी घण्टे, जिसमें उन बैंको को भी सम्मिलित किया जाय जहाँ उपभोक्ता भुगतान कर सकता है, का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी भुगतान के अधिकतम वैकल्पिक तरीके, जैसे नकद, स्थानीय चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, इलेक्ट्रानिक निकासी पद्धति (ई.सी.एस.) एवं क्रेडिट/डेबिट-कार्ड आदि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा । उपभोक्ताओं को रु. 100/- (सौ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान चेक से करने की अनुमति होगी ।
- 10.3 ऐसे दिवसों में, जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग से कतार लगाकर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा इन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।
- 10.4 संग्रहण केन्द्रों पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इस सुविधा हेतु अलग खिड़की रखी जायेगी जिससे अन्य उपभोक्ताओं का प्रतीक्षा समय न बढ़े ।
- 10.5 संग्रहण केन्द्रों का कार्यभार कम करने के लिये, रु. 5,000/- (पांच हजार) से ज्यादा की राशि के सभी बिलों का भुगतान, संबन्धित बैंक की स्थानीय शाखा में देय चेक/बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट से करना होगा ।
- 10.6 अनुज्ञप्तिधारी, ड्राप बाक्स के माध्यम से भुगतान लेने का प्रबंध करेगा, जिसमें उपभोक्ता केवल आदाता खाता के रेखांकित चेक डाल सकेगा । बिल भुगतान हेतु कतार में खड़े होने से बचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों एवं समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर, ड्राप बाक्स रखेगा । चेक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल / अनुज्ञप्तिधारी के नाम पर लिखा जाना चाहिये। चेक के पीछे सर्विस कनेक्शन क्रमांक, बिल माह, उपभोक्ता का नाम तथा पते के साथ दूरभाष क्रमांक, यदि कोई हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे । यदि बैंक द्वारा कोई शोधन प्रभार वसूल किया जाता है तो वह राशि उपभोक्ता से पश्चात्पूर्ति बिलों में वसूल योग्य होगी ।
- 10.7 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तारीख, बिल जारी किये जाने की तारीख से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी । यदि बिल में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस अंतिम तिथि माना जाएगा ।

- 10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा । चेक के अस्वीकृत होने का शोधन भार लेना और विधि सम्मत अन्य कार्यवाही करने की पहल करने के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को भविष्य में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान देने का आग्रह करने का अधिकार होगा ।
- 10.9 बिल प्राप्त होने की निर्धारित तिथि (जैसा कि कण्डिका – 9.11 (बी) में दर्शाया गया है) तक बिल प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता बिल जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर बिल की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है और भुगतान करने की व्यवस्था कर सकता है । यदि अनुज्ञप्तिधारी, द्वितीयक बिल प्रदाय करने की स्थिति में नहीं है तो उपभोक्ता पूर्व बिलों की औसत रकम के आधार पर भुगतान करेगा । अनुज्ञप्तिधारी, बिल प्राप्त न होने के कारणों की जांच कर उचित कार्यवाही कर सुनिश्चित करेगा कि तदुपरान्त उपभोक्ता को बिल निर्धारित समयावधि में प्राप्त हों ।
- 10.10 भुगतान प्राप्त होने के टोकन स्वरूप एक रसीद प्रत्येक उपभोक्ता को जारी की जाएगी ।
- 10.11 उपभोक्ता, आगामी बिलों के भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में रकम भी जमा कर सकता है, जो उत्तरवर्ती माहों के बिलों में समायोजित की जाएगी । तथापि, अग्रिम भुगतान में से नियमित बिलों की राशि का ही समायोजन किया जावेगा । किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन करने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी, अग्रिम भुगतान के प्रकरणों में उचित रियायत देने पर विचार करेगा ।
- 10.12 बिल की गई रकम के भुगतान में चूक करने वाले समस्त उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर, बकाया राशि पर, विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने को बाध्य होंगे ।
अंतिम तिथि के बाद भुगतान स्वीकार करते समय भुगतान योग्य अधिभार की गणना की जायगी और सामान्य बिल राशि के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान लिया जायगा ।
- 10.13 उपभोक्ता द्वारा दिये समस्त भुगतान, प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में समायोजित होंगे:—
- (ए) वर्तमान माह के उपभोग पर विद्युत शुल्क और उपकर
(बी) विद्युत शुल्क का बकाया और उपकर का बकाया
(डी) विलम्ब भुगतान अधिभार
(ई) बकाया का शेष, यदि कोई हो
(एफ) वर्तमान बिल की राशि ।
- 10.14 **किशतों में भुगतान की सुविधाएं:**
अनुज्ञप्तिधारी, देय राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए, आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किशत सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति अधिकथित करेगा । इस नीति में किशत सुविधा स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को पदांकित किया जायेगा ।
- 10.15 **विवादित/गलत बिल :**
- (ए) बिल रकम के संबंध में किसी आपत्ति की दशा में उपभोक्ता, विद्युत बिल में दर्शाये गये पदांकित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा । उसका विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा व्यक्ति असहमति के अधीन निम्नलिखित राशि का भुगतान करता है:—
- (i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा

- (ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि ।

अनुज्ञप्तिधारी एवं उपरोक्त के बीच विचाराधीन विवाद के निपटारे तक, इनमें से जो भी कम हो ।

- (बी) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में उपलब्ध शिकायत के प्ररूप में पदाभिहित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी । कार्यालय में ऐसे प्ररूप के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित विवरण के साथ एक सादे कागज पर शिकायत दी जा सकेगी:-

- (i) उपभोक्ता के नाम और पते के साथ टेलीफोन नम्बर, यदि कोई हो,
(ii) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
(iii) कनेक्शन की श्रेणी
(iv) संक्षिप्त में शिकायत

प्राधिकृत अधिकारी विवाद को लिखित शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों की कालावधि के भीतर निपटारयेगा और यदि कोई कमी हो तो कारण बताते हुए संभाग के प्रभारी अधिकारी को प्रतिवेदन भेजेगा ।

- (सी) शिकायत की जाँच करने पर यदि बिल त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को पुनरीक्षित अंतिम तारीख दर्शाते हुए, जो कि पुनरीक्षित बिल जारी करने के 7 (सात) दिवसों से कम नहीं हो, सही किया पुनरीक्षित बिल देगा । उपभोक्ता द्वारा संदत्त अधिक राशि, यदि कोई हो, का समायोजन पश्चात्वर्ती बिलों में किया जाएगा ।
- (डी) यदि यह साबित हो जाता है कि अभिलिखित मीटर रीडिंग सही नहीं थी तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर, अनुज्ञप्तिधारी, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है ।
- (ई) यह साबित हो जाने की दशा में कि मूल बिल सही था, तब उपभोक्ता को अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान अनुज्ञेय विलंब प्रभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा ।
- (एफ) विवाद पर दिये गये निर्णय से उपभोक्ता को असंतोष होने की दशा में वह शिकायत निवारण प्रक्रिया में दर्शाये अनुसार आगे कार्यवाही कर सकता है ।

- 10.16 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में विधि-मान्य उत्तराधिकारी, ऐसे उपभोक्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने को बाध्यकारी होगा । संयोजन को तीन माह में अपने नाम पर परिवर्तित कराने हेतु विधि-मान्य उत्तराधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिये ।

विच्छेदन :

- 10.17 यह अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि युक्तियुक्त अवधि, जो कि अधिकतम 3(तीन) माह होगी, में उपभोक्ता द्वारा भुगतान में चूक किये जाने की दशा में उसके कनेक्शन को अस्थायी विच्छेदन के बिना न रहने दें। अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व होगा कि वह भुगतान में चूक करने वाले सभी प्रकरणों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करे तथा अस्थायी या स्थायी रूप से विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ करे ।

- 10.18 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है । उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेद करने से पूर्व

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए। यदि विच्छेद किये जाने के कारण को हटाने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेद नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा।

- 10.19 किसी उपभोक्ता से देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली-योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो।
- 10.20 अस्थाई विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किश्त की रकम, कनेक्शन काटने – जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।
- 10.21 यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन अस्थाई रूप से छः माह हेतु कटवाना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के लिये उपभोक्ता ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों जैसे – मांग प्रभार, न्यूनतम दर प्रभार, मीटर किराया इत्यादि का अग्रिम भुगतान करने को बाध्यकारी होगा। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता, विच्छेदन –संयोजन प्रभार का भुगतान करने को भी बाध्य होगा। निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन की अवधि, उपभोक्ता से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर एवं आवश्यक प्रभारों का अग्रिम भुगतान करने पर, बढ़ाई जा सकती है।

अध्याय – 11: विद्युत प्रदाय का प्रतिकूल उपयोग

- 11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत के विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनाधिकृत उपयोग या विद्युत संयन्त्रों, विद्युत लाइनों, उपकरणों अथवा मीटरों से छेड़-छाड़, उन्हें खतरे में डालने या क्षति पहुँचाने से रोकने हेतु सभी आवश्यक उपाय करेगा।
- 11.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को की गई विद्युत प्रदाय का वह ऐसी रीति में उपयोग नहीं करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी के हित के प्रतिकूल हो।

अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही

- 11.3 अधिनियम की धारा 126 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाले निम्न लिखित कृत्य विद्युत का अनाधिकृत उपयोग माने गये हैं:
- कृत्रिम साधनों से विद्युत का उपयोग; या
 - ऐसे साधनों द्वारा विद्युत का उपयोग, जो सम्बन्धित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये; या
 - बिगाड़े गये मीटर से विद्युत का उपयोग; या
 - जिस प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग।

- 11.4 उपभोक्ता द्वारा किये गये निम्न कृत्य भी विद्युत के प्रतिकूल उपयोग माने जावेंगे और अधिनियम की धारा 126 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जावेगी:
- (i) जिस समयावधि में एकल फेज़ पर विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो उस समय फेज़ बदलने वाले उपकरण का प्रयोग कर तीन-फेज़ मीटर/यन्त्रों का चलाया जाना;
 - (ii) अनुबन्ध के अनुसार स्वीकृत संयोजित भार या संविदा भार में वृद्धि;
 - (iii) अनुबन्ध में अनुज्ञापित प्रदाय क्षेत्र के बाहर विद्युत प्रदाय का विस्तार किया जाना;
 - (iv) मीटर का स्थान बदलना या स्थापना में अनाधिकृत परिवर्तन;
 - (v) न्यूट्रल का विच्छेदन; या
 - (vi) विद्युत प्रदाय के मापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये मीटर या इससे जुड़े यन्त्रों की आकस्मिक क्षति।
- 11.5 जब कोई उपभोक्ता विद्युत का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, अपने अन्य अधिकारों पर बिना प्रभाव डाले, उपभोक्ता की विद्युत प्रदाय का विच्छेद कर सकेगा और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत यन्त्र तथा अन्य उपकरण हटा सकेगा।
- 11.6 (ए) यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने पर, अनुज्ञप्तिधारी, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त है तो अनुज्ञप्तिधारी का बिल निर्धारण करने वाला अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) अपने पूर्ण विवेक से, अधिनियम की धारा 126 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति या इस प्रकार के उपयोग से लाभान्वित कोई अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान योग्य विद्युत प्रभारों का अन्तिम निर्धारण करेगा।
- (बी) अनन्तिम निर्धारण आदेश को उस स्थान या परिसर के प्रभारी या कब्जा रखने वाले या अधिपत्य रखने वाले व्यक्ति को पंजीकृत डाक अथवा हाथ में देकर तामील कराया जायेगा और पावती को संभाल कर रखा जायगा।
- परंतु यदि अनन्तिम निर्धारित रकम, अनन्तिम बिल के तामील होने के सात दिवस के भीतर जमा करा दी जाती है तो ऐसा व्यक्ति किसी अतिरिक्त दायित्व अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही, जो कुछ भी हो, के अध्याधीन नहीं होगा।
- (सी) निर्धारण करने वाला अधिकारी, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग हेतु बिल यह मान कर बनायेगा कि घरेलू और कृषि कनेक्शनों के प्रकरण में, निरीक्षण के दिनांक से तत्काल तीन माह पहले तक, विद्युत का ऐसा अनाधिकृत उपयोग जारी रहा हो। इसी प्रकार अन्य सभी श्रेणियों के कनेक्शनों में यह मान कर बिल बनाया जायगा कि विद्युत का ऐसा अनाधिकृत उपयोग निरीक्षण के दिनांक से तत्काल छः माह पहले तक जारी रहा हो जब तक कि अनाधिकृत उपयोग के दोषी व्यक्ति द्वारा इसके प्रतिकूल प्रमाण प्रस्तुत न किया जाय। संबद्ध श्रेणी के लिये लागू टैरिफ की डेढ़ गुना के बराबर दर पर अनन्तिम बिल का निर्धारण किया जायगा।
- (डी) असंतुष्ट व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारण करने वाले अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) को आपत्ति दर्ज करा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को सुनवाई के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, निर्धारण करने वाला अधिकारी, विद्युत के प्रभारों का भुगतान योग्य अन्तिम आदेश पारित करेगा।
- (ई) अन्तिम आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति, अन्तिम आदेश से 30 दिवस के भीतर, अधिनियम की धारा 126 के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी

को अपील कर सकता है जबकि उसने निर्धारित राशि की एक तिहाई राशि अनुज्ञप्तिधारी को जमा कर दी हो।

विद्युत चोरी

11.7 अधिनियम की धारा 135 में विद्युत की चोरी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है: जो कोई भी, बेईमानी से:-

- (ए) शिरोपरि, भूमिगत या पानी की लाइनों के नीचे या केबल या सर्विस तारों या अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस सुविधाओं को टैप (Tap) करता है या कोई कनेक्शन करता या कराता है; या
- (बी) मीटर से छेड़-छाड़ करता है, बिगाड़े हुए मीटर को स्थापित करता है या उपयोग करता है, विद्युत प्रवाह उलटने वाला ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन या कोई अन्य उपाय या तरीका जिससे उचित और पूर्ण मापन, अंकन या विद्युत प्रवाह के मापन में बाधा उत्पन्न हो या अन्यथा जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत की चोरी या क्षति हो; या
- (सी) विद्युत मीटर, उपकरण, यंत्र या तार को क्षति पहुँचाता है या नष्ट करता है या इनमें से किसी को ऐसी क्षति पहुँचाने या नष्ट करने देता है जिससे कि विद्युत के उचित और पूर्ण मापन में बाधा पहुँचे।
इस प्रकार से विद्युत का लेना या उपयोग या प्रयोग करना अधिनियम की धारा 135 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दण्डनीय होगा।

अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही

- 11.8 (ए) विद्युत की चोरी का अपराध का पता लगने पर, अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत अधिकारी मौके की उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए एक विस्तृत पंचनामा बनायेगा जिसमें यह तथ्य आये कि अधिनियम 135 के अनुरूप अपराध हुआ है।
- (बी) पंचनामा बनाने के बाद, इस प्रकार के अनाधिकृत कृत्य में लिप्त व्यक्ति की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जायगी और मीटर, विद्युत लाइन, विद्युत यन्त्र तथा अन्य उपकरण को हटाया जायगा और अपराध किया जाना सिद्ध करने के साक्ष्य तथा समान को सुरक्षित रखा जायगा।
- (सी) नियमित कनेक्शन के प्रकरण में, अपराध के पता लगने की दिनांक से लगभग दो वर्ष पूर्व के विद्युत उपयोग के अभिलेख की समीक्षा बिल का निर्धारण करने वाले अधिकारी (एसेसिंग ऑफिसर) द्वारा की जायगी।
- (डी) इलेक्ट्रानिक मीटर लगा होने की दशा में, इसके आँकड़ों का विश्लेषण कर, अपराध चलते रहने की समयावधि का यथोचित निष्कर्ष निकल सकता है। विद्युत उपभोग का तरीका, पूर्व में किये गये निरीक्षण और परीक्षण जैसे तथ्यों को भी ध्यान में रखा जायगा।
- (ई) यदि किन्हीं कारणों से अपराध की समयावधि का सही निर्धारण नहीं हो पाता तो एक वर्ष या कनेक्शन दिये जाने की दिनांक से अवधि, इनमें से जो कम हो, को उस विद्युत की मात्रा, जिसे मापा नहीं जा सका, का निर्धारण करने हेतु लिया जायगा।
- (एफ) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत अधिकारी, संबन्धित श्रेणी के लागू टैरिफ के ढाई गुना के बराबर की दर पर, विद्युत चोरी का पता लगने से पहले के 12 माह या यथार्थ विद्युत चोरी की समयावधि, इनमें से जो भी कम हो, हेतु बिल बनायेगा जब तक कि विद्युत

चोरी के दोषी व्यक्ति द्वारा इसके विपरीत सबूत प्रस्तुत न किया जाय। यह ढाई गुना दर नियत/माँग प्रभार और ऊर्जा प्रभार, दोनों पर लगेगी।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी से नियमित कनेक्शन प्राप्त किये हुआ व्यक्ति यदि प्रावधिक निर्धारित राशि का भुगतान कर देता है तो विद्युत चोरी के कारण को हटा कर 48 घण्टों में विद्युत आपूर्ति चालू की जायगी।

अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति बहाल करने से पहले, उसी परिसर में दोबारा से विद्युत चोरी न होने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा।

(जी) बिल बनाने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी उसे पंजीकृत डाक से अथवा हाथ में दिये जाने का प्रबन्ध करेगा और पावती संभाल कर रखेगा

(एच) असंतुष्ट व्यक्ति, अनुज्ञप्तिधारी के नामांकित अधिकारी को प्रतिवेदन, यदि कोई हो, दे सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की समुचित सुनवाई करके, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देय विद्युत प्रभारों का निर्धारण कर अंतिम आदेश पारित करेगा।

नामांकित अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टि में प्रावधिक बिल की समीक्षा के उचित कारण पाये जाने की दशा में, वह, सुनवाई प्रारम्भ करने के पहले, व्यक्ति को बिल की एक तिहाई राशि जमा करने की अनुमति दे सकता है। ऐसी राशि के जमा होने पर, अनुज्ञप्तिधारी, अंतिम निर्धारण के विचाराधीन रहते हुए, विद्युत आपूर्ति को चालू कर सकेगा।

(आई) यदि अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार, व्यक्ति, शेष राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, विच्छेदन की सूचना देकर विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने को स्वतंत्र होगा।

(जे) इस प्रकार के निर्धारित किये गये बिल का भुगतान का अर्थ यह नहीं होगा कि विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जायगा।

11.9 अधिनियम की धारा 135 के अधीन अपराधी के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा दाण्डिक कार्यवाही किये जाने या अन्य प्रचलित विधि के अनुसार किसी व्यक्ति पर बकाया राशि की वसूली और अनुज्ञप्तिधारी की आस्तियों और हितों की रक्षा करने में उपरोक्त सभी प्रावधान, अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

अध्याय – 12: विविध मामले

आकस्मिक विशेष परिस्थितियाँ

12.1 यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, सैनिक विद्रोह, सिविल विद्रोह, दंगे, आतंकवादी कार्यवाही, बाढ़, आग लगने, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित होने पर), तालाबंदी (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित होने पर), तूफान, अन्धड, बिजली गिरने, भूकंप या दैवीय प्रकोप के कारण असफल होती है तो उससे होने वाले नुकसान, टूट-फूट अथवा मुआवजे के लिए, अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा।

12.2 अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध के कार्यकाल के दौरान यदि उपभोक्ता के संयंत्र अथवा परिसर में कंडिका 12.1 में दर्शाई विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण संयंत्र

अथवा परिसर में कोई आंशिक अथवा पूर्ण नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को 07 दिवस की सूचना देकर विद्युत प्रदाय में आवश्यक और साध्य कमी कर सकता है । ऐसे सभी प्रकरणों में जहां उपभोक्ता आकस्मिक रूप से आई परिस्थितियों के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट की मांग करता है तो अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उसकी जांच की जाएगी। इस प्रकार की सुविधा, जिसमें उपभोक्ता को अनुबंधित मात्रा से कम मात्रा में विद्युत आपूर्ति दी जानी है, की अवधि न्यूनतम 60 (साठ) दिवस और अधिकतम 6 (छः) माह होगी । उपर्युक्त अवधि को उपभोक्ता के प्रारंभिक अनुबंध काल में जोड़ा नहीं जाएगा बल्कि अनुबंध को, कम मात्रा की कालावधि के बराबर अवधि के लिए, आगे बढ़ा दिया जायेगा ।

12.3 उस मामले में जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता को, जो अन्यथा बकायेदार न हो अथवा जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित या असंयोजित हो, एक कैलेण्डर माह में दस दिनों (जिसमें प्रत्येक दिन 00 घंटे से 24.00 घंटे तक विद्युत प्रदाय बंद हो) या अधिक के लिये विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निम्नलिखित रीति से प्रभार प्राप्त करेगा:—

(ए) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा ।

(बी) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर सेस को छोड़कर) की गणना, जितने दिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जावेगी ।

यह सुविधा केवल उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनके कनेक्शन मीटरयुक्त हैं ।

विद्युत संयंत्र, लाइन अथवा मीटर से छेड़-छाड़, क्षति पहुँचाना या खराब करना

12.4 उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये विद्युत संयंत्र, लाइन या मीटर या अन्य किसी उपकरण को छेड़ा जाता है, क्षति पहुँचाई जाती है या खराब पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्लाण्ट, लाईन, मीटर, या उपकरण को सुधार कर चालू करने या बदलकर चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकारी होगा। तथापि, इससे अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन का अधिकार, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में किये जाने वाले आंकलन का अधिकार भी सम्मिलित है ।

फ्रेंचायज़ी का प्राधिकृत करना

12.5 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत प्रदाय के क्षेत्र के किसी भाग में, अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिए, किसी फ्रेंचायज़ी को, अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अधिकृत किया जा सकता है ।

अन्य संहिताएं और विनियमन

12.6 उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि नये भवन, ढांचे, तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य, संपरिवर्तन और अन्य निर्माण परियोजनाओं की, अनुज्ञप्तिधारी की मौजूदा विद्युत आपूर्ति लाइनों से न्यूनतम दूरी बनायी रखी जाय । इन न्यूनतम दूरियों के मानदण्ड भारतीय विद्युत नियम, 1956 और आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने वाली वितरण संहिता तथा सुरक्षा संहिता में दर्शाये अनुसार होंगे ।

नोटिस की तामील

- 12.7** अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई पत्र, आदेश अथवा दस्तावेज, दिया हुआ मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में भेजा जाता है और व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर भेजा जाता है जो कि उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति मांगते समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि किया हो) में दर्शाया हो या उपभोक्ता द्वारा बाद में सूचित किया गया हो। यदि परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्ति-युक्त तरीके से उपरोक्त पत्र दिया जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चिपका कर मान लिया जायेगा कि यह पत्र उपभोक्ता को प्राप्त हो गया है।
- 12.8** अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत भार विनियमन, नये टैरिफ अथवा बिल भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचना, आदि को बहुप्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा।
- 12.9** अनुज्ञप्तिधारी को भेजे जाने वाले पत्रों को निम्नांकित पतों पर प्रेषित किया जावे :-
- (ए) उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के सचिव को उसके कार्पोरेट कार्यालय में अथवा इस हेतु अधिकृत और पदांकित कोई अन्य अधिकारी।
- (बी) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, अनुज्ञप्तिधारी का कार्यपालन अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति।

अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां

- 12.10** विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अलावा अप्रत्याशित रूप से यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तब अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर सलाह-मशविरा कर सहमति पर पहुंचना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित होने वाले पक्षों के मध्य उपलब्ध समय-सीमा में सहमति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपनी सामर्थ्य अनुसार युक्ति-युक्त निर्णय लेगा।
- 12.11** जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी किसी निर्णय पर पहुंचता है तब उसे ध्यान रखना होगा कि प्रभावित होने वाले पक्षों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी हालत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त पूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय पर दिये गये सभी निर्देशों को मान्य करना होगा, बशर्तें ये निर्देश प्रचलित संहिता और विनियमों के अनुरूप हो। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न हुई परिस्थितियां एवम् इस बाबत लिये गये सभी निर्णय को अनुज्ञप्तिधारी, तुरंत आयोग को भेजेगा।

व्याख्या

- 12.12** इस संहिता में निहित शर्तों को, वर्तमान में प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 तथा इनके लिये बनाये गये नियमों तथा विद्युत आपूर्ति से संबन्धित तत्समय में प्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा एवं समझा जावेगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता को, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत, दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।
- 12.13** इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ या विस्तार के संबन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिये बाध्य होगी।

12.14 छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संहिता के प्रकाशन की दिनांक से, इसके पूर्व में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जारी "विद्युत ऊर्जा प्रदाय की सामान्य शर्तें एवं विविध व सामान्य प्रभारों के माप" का प्रचलन समाप्त हो जायगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

12.15 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई के उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से जहाँ आवश्यक समझा जाय, विचार-विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

12.16 इस संहिता के क्रियान्वयन और तदनुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्रांतर्गत अनुबंध निष्पादित किया गया है।

व्यावृत्ति :

12.17 इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों।

12.18 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

12.19 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीपः- इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

(अजय श्रीवास्तव)
उप सचिव

परिशिष्ट

अनुज्ञाप्तिधारी संलग्न परिशिष्टों में दिये प्रपत्रों को परिवर्तित करने के लिये अधिकृत होगा ताकि इस संहिता में निहित प्रावधानों के फलस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके एवं ये प्रपत्र विद्यमान अधिनियम, नियम, विनियमन तथा इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही हों।

निम्न दाब कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र

नवीन कनेक्शन / परिसर का परिवर्तन / संविदा मांग में परिवर्तन / टेरिफ श्रेणी में परिवर्तन / उपभोक्ता का नाम परिवर्तन

(कृपया जो लागू न हो, उसे काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता हूँ/करते हैं । इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है:

1. आवेदक

(अ) व्यक्ति का नाम / संगठन का नाम:-----

(ब) पिता/पति/संचालक/भागीदार/ट्रस्टी का नाम:-----

(स) श्रेणी: सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ावर्ग/अन्य

(जो लागू न हो उसे काट दें तथा जो लागू हो उसे टिक करें)

(द) परिसर का पता जहां नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन दिया जा रहा है या विद्यमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना प्रस्तावित है ।

परिसर क्रमांक: -----
गली : -----
क्षेत्र/कालोनी: -----
नगर : -----
जिला: -----
पिन कोड: -----
दूरभाष क्रमांक: -----
ई-मेल: -----
बैंक लेखा क्रमांक (ऐच्छिक)-----

2. समीपस्थ विद्युत खम्भे का क्रमांक जहां से कनेक्शन लिया जाना संभावित है :---

3. परिसर का निर्मित क्षेत्रफल/प्लॉट का क्षेत्रफल :----- (वर्ग फुट)

4. विद्युत आपूर्ति की श्रेणी(श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----

5. विद्युत आपूर्ति का उद्देश्य(उप श्रेणियों की सूची संलग्न है) -----

6. विद्युत आपूर्ति का प्रकार : स्थाई/अस्थायी
(जो लागू हो उसे टिक करें और जो लागू न हो उसे काटें)
यदि अस्थायी है तो अवधि लिखें :-दिनांक ----- से ----- तक

7. प्रस्तावित संयोजित भार

(अ) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए-----वॉट

(कृपया संयोजित भार की गणना के लिए प्रपत्र संलग्न करें)

(ब) अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता (घरेलू को छोड़कर) निम्न सारणी में विवरण भरें (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षर करके सूची अलग से दी जावे)

उपकरण	विद्युत भार प्रति उपकरण(वॉट में)	संख्या	कुल विद्युत भार (वॉट में)

8. समीपस्थ वितरण मेन से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दु की दूरी ----- मीटर

(उपभोक्ता द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना केवल मार्गदर्शन हेतु होगी । साध्यता जाँच के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण मेन का बिंदु निर्धारित किया जावेगा एवं सर्विस केबिल या सर्विस लाईन का मार्ग निर्धारित किया जावेगा ।)

9. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में किसी भी कनेक्शन पर कोई विद्युत बकाया राशि शेष है । हाँ/नहीं

10. जिस परिसर के लिए आवेदन किया गया है क्या वहां विद्युत बकाया राशि शेष है । हाँ/नहीं

11. क्या आवेदक ऐसे किसी प्रतिष्ठान का मालिक, भागीदार, संचालक अथवा प्रबंध संचालक है, जहाँ विद्युत बकाया राशि शेष है हाँ/नहीं।

(10,11,12 जहां लागू हैं वहां टिक करें, जहां लागू नहीं है वहां काटें । यदि जानकारी हाँ में है तो विवरण संलग्न करें)

12. मैं / हम यहां घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

(अ) इस आवेदन में प्रस्तुत विवरण मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही है।

(ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता को पढ़ा है तथा उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं ।

(स) मैं / हम प्रत्येक माह लागू विद्युत के देयक का भुगतान, विद्युत टेरिफ और अन्य प्रभारों के अनुसार, नियत समय पर करूंगा/करेंगे।

(द) मैं/हम विद्युत की आंतरिक स्थापना एवं मीटर, कट-आऊट आदि की प्रतिभूति एवं सुरक्षा की जवाबदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक:-

स्थान:-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम:-----

सील/पदनाम(यदि हो तो) -----

टीप:- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें ।

1. परिसर के विधिक आधिपत्य में होने का विधि-सम्मत दस्तावेज जिसके साथ परिसर/भूमि का नक्शा, जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, तथा इस पर विद्युत आपूर्ति के प्रस्तावित बिन्दु की जानकारी दी जावे । सड़क बत्ती के प्रकरण में सड़क बत्ती के खम्बों की विद्यमान/प्रस्तावित स्थिति नक्शे पर दर्शानी होगी ।
2. यदि वैधानिक रूप से आवश्यक हो तो स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन/ अनुमति पत्र संलग्न करें ।
3. भागीदारी प्रतिष्ठान के मामले में पार्टनरशिप डीड संलग्न करें ।
4. मर्यादित कंपनी के मामले में प्रतिष्ठान का ज्ञापन एवं नियमावली तथा अनुच्छेद एशोसियेशन एवं निगम की प्रति। (मेमोरण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ ऐसोसिएशन एण्ड सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन)
5. उद्योग के प्रकरण में उद्योग विभाग से पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति ।
6. आवेदक के स्थाई निवास का पता संबंधी दस्तावेजी प्रमाण और पी.ए.एन. (स्थाई आयकर क्रमांक, यदि हो तो) संलग्न करें । यदि भविष्य में आवेदक के स्थाई पते में परिवर्तन हो तो अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत सूचित करें ।
7. उद्योगों के प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण विभाग की अनुमति ।

आवेदन प्रपत्र - नवीन उच्च दाब विद्युत संयोजन हेतु

नवीन विद्युत संयोजन/परिसर का परिवर्तन/संविदा मांग में परिवर्तन/
टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन/उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन
(जो संबंधित न हो, उसे कृपया काट दें)

प्रति,

महोदय,

मैं/हम, मेरे/ हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ /करते हैं । आवश्यक जानकारी निम्नलिखित है :-

1.

- (अ) आवेदक /संस्था का नाम : -----
(ब) पिता/पति/संचालक/साझीदार/
न्यासी का नाम : -----
(स) परिसर का पूर्ण पता, जहाँ विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया जाना है या जहाँ परिवर्तन प्रस्तावित है । : -----
पिन : -----
दूरभाष नं. : -----
(i) कारखाना/परिसर : -----
(ii) पंजीकृत कार्यालय : -----
(iii) निवास : -----

ई-मेल : -----

बैंक का खाता क्रमांक (ऐच्छिक) : -----

2. वोल्टेज जिस पर विद्युत संयोजन चाहिए (के.वी.) :- 11 के.वी./33 के.वी. /132 के.वी. / 220 के.वी.

(जो संबंधित न हो उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

3. विद्युत संयोजन का प्रकार : स्थायी/अस्थायी
(जो संबंधित न यहां उसे काट दें और संबंधित हो उस पर टिक लगायें)

यदि अस्थायी हो तो अवधि दर्शायें ----- से ----- तक

4. आवेदक द्वारा अधिष्ठापन की स्थापना हेतु अब तक उठाये गये कदम

- (अ) _____
(ब) _____
(स) _____
(द) _____

5. आवेदित संविदा मांग के प्रक्षेपण का आधार

- (अ) अनुमानित विविधकरण कारक : _____
(अनुमानित डायवरसिटी फैक्टर)
(ब) कुल संबद्ध भार : _____

6. संविदा मांग के चरण

क्रमांक	आवश्यक संविदा मांग (के.वी.ए.)	प्रस्तावित दिनांक जब से आवश्यकता है।	टिप्पणी

7. अधिष्ठापन का प्रयोजन : _____
8. टैरिफ की चयनित श्रेणी : _____
9. उत्पादन क्षमता : _____
10. उद्योग की श्रेणी : लघु/ मध्यम/ वृहद्
(जो संबंधित न हो उसे काट दें और जो संबंधित हो उसे दर्शायें)
11. भूमि के अधिग्रहण की स्थिति : _____
12. अनुमानित दिनांक जब तक अर्थ प्रबंध : _____
प्राप्त हो जाएगा ।
13. क्या छ.ग.राज्य प्रदूषण निवारण मण्डल, रायपुर से वैधानिक आवश्यकतानुसार, आवश्यक अनुज्ञा/अनापत्ति (जहाँ आवश्यक हो) प्राप्त की है । (यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें)
14. क्या अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत आवेदक : हाँ/ नहीं
के नाम पर कोई विद्युत बकाया राशि है ।
15. क्या इस परिसर पर कोई बकाया राशि है: हाँ/ नहीं
जहाँ विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दिया है ।
16. क्या ऐसी किसी संस्था, आवेदक जिसका स्वामी, : हाँ / नहीं
साझीदार, संचालक या प्रबंध संचालक है,
पर अनुज्ञापतिधारी के क्षेत्रान्तर्गत कोई विद्युत बकाया राशि है ।
(क्रमांक 14, 15 एवं 16 के लिए यदि "हाँ" हो तो कृपया विवरण दें)
17. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
(अ) उपरोक्त प्रपत्र में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।
(ब) मैं/हम ने छ.ग.विद्युत प्रदाय संहिता के विषय-वस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
(स) मैं/हम विद्युत टैरिफ व अन्य चार्जस के आधार पर (जो भी लागू हो) विद्युत बिलों की बकाया राशि का भुगतान प्रति माह करूँगा/करेंगे ।
(द) मैं/हम मीटर, कट आउट एवं उसके बाद की संस्थापना की प्रतिभूति एवं सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं ।

दिनांक :

स्थान :

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर एवं पदनाम/सील यदि हो तो)

नोट :- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करें ।

1. परिसर के स्वामित्व का प्रमाण ।
2. प्लांट/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ नक्शा। नक्शे का माप सामान्यतः 1 से.मी.त्र 1200 से.मी. के अनुपात में होना चाहिए।
3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से लायसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके कनेक्शन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता है तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेखित हो कि वह उस संस्था का स्वयं मालिक है ।
5. साझेदारी संस्था के मामले में साझेदारी संबंधी दस्तावेज़ ।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में प्रतिष्ठान का ज्ञापन एवं नियमावली एवं निगमन प्रमाणपत्र की प्रति (मेमोरण्डम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन)।
7. आवेदक के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं यदि हो तो, आवेदक का आयकर का स्थायी लेखा क्र. (पी.ए.एन. नंबर) । स्थायी निवास के पते में भविष्य में यदि कोई बदलाव होता है तो आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को तदनुसार सूचित करेगा ।
8. उत्पादन, उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट ।
9. प्रस्तावित उपकरणों की अनुमानित भार सहित सूची ।
10. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए सक्षम पारित प्रस्ताव ।
11. उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन ।
12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वह भाग, जो उद्योग के विद्युत आवश्यकताओं तथा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित हो ।
13. टैरिफ आदेश के संबंधित अनुभाग की प्रति, जिसको उपभोक्ता द्वारा चयनित कर हस्ताक्षरित किया हो । इसे औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर अनुबंध का हिस्सा मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जावेगा ।

संबद्ध भार की गणना
(घरेलू विद्युत संयोजन हेतु)

1. उपभोक्ता का नाम : _____
2. पता : _____
3. उपभोक्ता क्रमांक : _____
(विद्यमान संयोजन हेतु)

5. उपयोग हेतु प्रस्तावित विद्युत उपकरण : (कृपया निम्नलिखित तालिका को भरें ताकि संबद्ध भार की गणना की जा सके । सामान्यतः संबद्ध भार की गणना के लिए परिसर के प्रत्येक विद्युत उपकरण का वास्तविक अंकित विद्युत भार ही लिया जाएगा । यदि किसी उपकरण की निर्धारित विद्युत क्षमता अंकित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित तालिका के आधार पर विद्युत भार की गणना की जा सकती है ।)

विद्युत उपकरण का नाम	विद्युत भार (वाट्स में)	संख्या	कुल भार (वाट्स में)
1	2	3	4 त्र 2 ग 3
बल्ब	60		
ट्यूब लाईट	50		
पंखा	60		
टेप रिकार्डर / म्यूजिक सिस्टम	100		
टेलिविजन	90		
मिक्सी	375		
इलेक्ट्रिक आयरन	750		
फ्रिज	150		
कूलर	250		
हीटर (खाना पकाने एवं पानी गर्म करने हेतु)	1000		
वाशिंग मशीन (कपड़े धोने की मशीन)	750		
गीज़र	2000		
माइक्रो वेव ओवन	2000		
एयर कंडिशनर (एक टन)	1500		
एयर कंडिशन (डेढ़ टन)	2250		
कम्प्यूटर	100		
प्रिन्टर	150		
पम्प सेट	375		
	योग-		

- (अ) अतिरिक्त प्लग पाइंट/होल्डर को संबद्ध भार में नहीं जोड़ा जाएगा ।
- (ब) कतिपय घरेलू परिसरों में गीज़र, रूम हीटर और एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) स्थापित होते हैं । यदि गीज़र तथा रूम हीटर, दोनों ही विद्युत उपकरण स्थापित हों तो इन दोनों के कुल विद्युत भार को जोड़कर इसकी तुलना एयर कंडीशनर के विद्युत भार से की जावेगी एवं तुलनात्मक रूप से जो भी अधिक होगा, उसे संबद्ध भार की गणना में जोड़ा जावेगा ।

(उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

(अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

दिनांक :-----

दिनांक : -----

स्थान : -----

स्थान : -----

(स)

(1) उस कर्मचारी का विवरण जिसके द्वारा कार्य संपादित किया गया है ।

क्रमांक	तार मिस्त्री/प्रशिक्षु का नाम	पद	अवधि	
			से	तक

(2) यह कार्य श्रीके निरीक्षण/देख-रेख में संपादित किया गया है जिसका प्रमाण-पत्र क्रमांकहै। दिनांक से दिनांक तक की अवधि में संपादित किये गये इस कार्य के लिए वह उत्तरदायी है ।

(द) यह प्रतिष्ठान भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अंतर्गत समस्त विनिर्देशों का पालन करता है।

6. मैं यह घोषित/प्रमाणित करता हूँ कि :

- (अ) स्थापित स्विच उपयुक्त क्षमता के हैं - हाँ/ नहीं ।
(ब) समस्त स्विच और वायरिंग स्थायी हैं हाँ/ नहीं ।
एवं निर्धारित मानकों और मापदण्डों के अनुसार है ।
(स) समस्त प्लग तीन पिन वाले हैं एवं अलग-अलग हाँ/ नहीं ।
स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं ।
(द) समस्त एकल पोल स्विच फेज़ से जुड़े हैं- हाँ/ नहीं ।
(इ) मेन स्विच बोर्ड पर न्यूट्रल पाइंट हेतु स्थाई हाँ/ नहीं ।
निशान चिह्नित है ।
(प) अर्थिंग की व्यवस्था भारतीय विद्युत नियम, 1956 के हाँ/ नहीं ।
नियम 61 के अनुरूप है ।

(फ) तीन फेस प्रतिष्ठानों में-

1. खतरा चिन्ह पटल , बाल्टियों के साथ अग्निशमन यंत्र, विद्युत आघात चार्ट एवं प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध हैं । हाँ/ नहीं ।
2. प्रतिष्ठान में लगे स्विच बोर्ड भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 15 में निहित विनिर्देशों के अनुसार है । हाँ/ नहीं ।

7. परीक्षण परिणाम

परीक्षण दिनांक -----

	पृथ्वी से विद्युत रोधन	चालकों के बीच विद्युत रोधन
फेज़ 1		
फेज़ 2		
फेज़ 3		

भूमि प्रतिरोधकता	परीक्षण दिनांक

इलेक्ट्रोड क्रमांक 1	इलेक्ट्रोड क्रमांक-2

8. छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) के प्रपत्र (एल) के अनुसार पंजीकरण दिनांक निम्नानुसार है :-

सरल क्रमांक -----
दिनांक -----

(अनुज्ञापिधारक विद्युत ठेकेदार के हस्ताक्षर)

(निरीक्षक तारमिस्त्री द्वारा प्रमाण पत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य श्रीके द्वारा किया गया जिनके पास तारमिस्त्री अनुज्ञा क्रमांक है, जो कि दिनांकतक वैध है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान का परीक्षण श्री द्वारा किया गया है जिनके पास अनुज्ञा क्रमांक है, जो कि दिनांक तक वैध है ।
(तार मिस्त्री के हस्ताक्षर) (निरीक्षक तारमिस्त्री के हस्ताक्षर)

पावती

परीक्षण प्रपत्र क्रमांक जो कि श्रीद्वारा श्रीके परिसर में विद्युत स्थापना हेतु तैयार किया गया है एवं दिनांक को प्राप्त हुआ है ।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :
पद :
दिनांक :